सूरतुल मुजादिल:-५८

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

सूर: मुजादिल: मदीना में अवतरित हुई तथा इसमें बाईस आयतें एवं तीन रूकूअ हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

(१) निश्चय अल्लाह (तआला) ने उस स्त्री की बात सुनी जो तुझसे अपने पति के विषय में विवाद कर रही थी तथा अल्लाह के समक्ष शिकायत कर रही थी, अल्लाह (तआला) तुम दोनों की बात चीत (वाद-विवाद) सुन रहा था,[1] नि:संदेह अल्लाह (तआला) सुनने देखने वाला है।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ

(२) तुममें से जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करते हैं (अर्थात उन्हें माँ कह बैठते

---

[1]यह संकेत है आदरणीया खौल: पुत्री मालिक पुत्र सालबा रज़ि अल्लाहु अन्हा की घटना की ओर, जिनके पति आदरणीय औस पुत्र सामित ने उनसे ज़िहार कर लिया था। ज़िहार का अर्थ है, अपनी पत्नी से कह देना (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)(तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ के समान है) अज्ञान युग में ज़िहार को तलाक़ (विवाह-विच्छेद) समझा जाता था। आदरणीया खौल: अति व्याकुल हुईं। उस समय तक इस विषय में कोई आदेश नहीं उतरा था। इसलिए वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयीं तो आप भी कुछ रूके रहे। वह आप से विवाद तथा तक़रार करती रहीं जिस पर यह आयतें उतरीं, जिनमें ज़िहार की समस्या तथा उसका आदेश एवं प्रायश्चित का वर्णन कर दिया गया। (अबू दाऊद किताबुत्तलाक़, बाबुन फिज् ज़िहार) आयशा (رضي الله عنها) कहती हैं कि अल्लाह तआला किस तरह लोगों की बातें सुन लेता है कि यह स्त्री घर के एक कोने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक़रार करती तथा अपने पति की निंदा कर रही थी, मैं उसकी बातें नहीं सुनती थी, परन्तु अल्लाह ने आकाशों के ऊपर से उसकी वात सुन ली। (इब्ने माजा, अलमुकद्दमा, बाबुन फीमा अंकरतिल जहमियतु) बुख़ारी में भी तालीक के रूप में इसका संक्षिप्त वर्णन है। किताबुत तौहीद, बाबु कौलिल्लाहे तआला व कानल्लाहु समीअन बसीरा)

مَا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

हैं) वह वास्तव में उनकी मातायें नहीं हैं, उनकी मातायें तो वही हैं जिनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है,[1] नि:संदेह ये लोग एक अनुचित एवं असत्य बात कहते हैं। नि:संदेह अल्लाह (तआला) क्षमाशील एवं माफ़ करने वाला है।[2]

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ

(३) तथा जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करें फिर अपनी कही हुई बात वापस लें,[3] तो उनके ऊपर आपस में एक-दूसरे को हाथ लगाने से पूर्व[4] एक दास को मुक्त करना है

---

[1]यह ज़िहार का आदेश बताया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ नहीं बन जायेगी। यदि कोई अपनी बेटी अथवा बहन की पीठ के समान अपनी पत्नी को कह दे तो यह ज़िहार है अथवा नहीं? इमाम मालिक तथा इमाम अबू हनीफ़ा इसे भी ज़िहार मानते हैं, जबकि अन्य धर्मविद उसे ज़िहार नहीं मानते (प्रथम कथन ही सही लगता है)। इसी प्रकार इसमें भी मतभेद है कि यदि कोई पीठ की जगह यह कहे कि तू मेरी माँ के समान है, पीठ का नाम न ले, तो विद्वान कहते हैं कि यदि वह ज़िहार के विचार से उक्त शब्द कहेगा तो ज़िहार होगा अन्यथा नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि यदि ऐसे अंग से उपमा देगा जिसका देखना वैध (जायज़) है तो यह ज़िहार नहीं होगा। इमाम शाफ़ई भी कहते हैं कि ज़िहार केवल पीठ के समान कहने ही से होगा। (फ़तहुल क़दीर)

[2]इसीलिए उसने प्रायश्चित को इस अप्रिय तथा झूठ बात की क्षमा का साधन बना दिया।

[3]अब उस आदेश का विवरण बताया जा रहा है। बात वापस लेने का अर्थ है, पत्नी से संभोग करना चाहें।

[4]अर्थात संभोग से पहले वे प्रायश्चित अदा करें। १- एक दास मुक्त करना २- इस की शक्ति न होने पर निरन्तर बिना टूट दो महीने के व्रत। यदि बीच में बिना धार्मिक कारण के व्रत छोड़ दिया तो शुरू से रोज़े रखने होंगे। धार्मिक कारण से अभिप्राय रोग अथवा यात्रा है। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि रोग आदि के कारण से भी व्रत छोड़ेगा तो फिर से व्रत रखने होंगे। ३- यदि निरन्तर दो महीने रोज़े रखने की शक्ति न हो तो साठ निर्धनों को खाना खिलाये। कुछ कहते हैं कि प्रत्येक गरीब को दो मुद्द (आधा साअ अर्थात सवा किलो), कुछ कहते हैं कि एक मुद्द पर्याप्त है। किन्तु क़ुरआन के शब्दों से लगता है कि भोजन ऐसे कराया जाये कि उनका पेट भर जाये अथवा इतनी ही मात्रा में

تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ③

इसके द्वारा तुम उपदेश दिये जाते हो। तथा अल्लाह (तआला) तुम्हारे सभी कर्मों से परिचित है।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۭ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ④

(४) हाँ, जो व्यक्ति न पाये उसके ऊपर दो महीने का निरन्तर व्रत हैं इससे पूर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगायें, तथा जिस व्यक्ति की यह भी शक्ति न हो, उस पर साठ निर्धनों को भोजन कराना है। यह इसलिए कि तुम अल्लाह पर तथा उसके सन्देष्टा पर ईमान लाओ। यह अल्लाह (तआला) की निर्धारित की हुई सीमायें हैं तथा काफ़िरों के लिए ही दुखदायी यातना है।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاۗدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑤

(५) नि:संदेह जो लोग अल्लाह तथा उसके संदेष्टा का विरोध करते हैं वे अपमानित किये जायेंगे[1] जैसे उनसे पूर्व के लोग अपमानित किये गये[2] तथा नि:संदेह हम खुली आयतें अवतरित कर चुके हैं, तथा काफ़िरों के लिए अपमानकारी यातना है।

उन्हें खाना दिया जाये। एक ही बार सबको खिलाना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि कई बार में यह संख्या पूरी की जा सकती है। (फ़तहुल क़दीर) फिर भी यह आवश्यक है कि जब तक यह संख्या पूरी न हो जाये उस समय तक पत्नी से संभोग उचित नहीं।

[1] كُبِتُوْا यह भूतकाल कर्मवाच्य का रूप है, किन्तु इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को वताकर यह स्पष्ट कर दिया कि इसका होना ऐसे ही निश्चित है जैसे कि वह हो चुका है, हुआ भी ऐसा ही कि बद्र के दिन यह मक्का के मूर्तिपूजक अपमानित किये गये, कुछ मारे गये, कुछ बंदी बनाये गये तथा मुसलमान उन पर प्रभुत्वशाली रहे। मुसलमानों की विजय भी उनके लिए बड़ा अपमान थी।

[2] इससे अभिप्राय विगत समुदाय हैं जो इसी विरोध के कारण नाश हो गये।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

(६) जिस दिन अल्लाह (तआला) उन सबको उठायेगा, फिर उन्हें उनके किए हुए कर्मों से अवगत करायेगा, (जिसे) अल्लाह ने गिन रखा है तथा जिसे ये भूल गये थे ।[1] तथा अल्लाह (तआला) प्रत्येक वस्तु से अवगत है ।[2]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(७) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आकाशों एवं धरती की प्रत्येक वस्तु से अवगत है । तीन व्यक्तियों की कानाफ़ूसी नहीं होती, किन्तु अल्लाह उनका चौथा होता है तथा न पाँच की किन्तु वह उनका छठा होता है तथा न उससे कम की तथा न अधिक की किन्तु वह उनके साथ ही होता है[3] जहाँ भी वे हों[4] फिर क़यामत (प्रलय) के दिन उन्हें उनके कर्मों से सूचित करायेगा,[5] नि:संदेह अल्लाह (तआला) प्रत्येक वस्तु का जानकार है ।

---

[1]यह मनोगत संदेहों का उत्तर है कि पापों की इतनी अधिकता तथा इतने रूप हैं कि उनकी गणना प्रत्यक्ष रूप से असंभव है । अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम्हारे लिए वस्तुत: असंभव है, बल्कि तुम्हें तो अपने किये सब कर्म भी याद नहीं होंगे, परन्तु यह अल्लाह के लिए कोई कठिन नहीं, उसने एक-एक का कर्म सुरक्षित कर रखा है ।

[2]उस से कोई चीज़ छिपी नहीं है । आगे इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि वह प्रत्येक चीज़ को जानता है ।

[3]उपरोक्त संख्या की विशेष रूप से चर्चा का अर्थ यह नहीं है कि वह इससे कम अथवा अधिक संख्या के बीच होने वाले वार्तालाप से अंजान रहता है, अपितु यह संख्या उदाहरण स्वरूप है । उद्देश्य यह बतलाना है कि संख्या कम हो या अधिक वह अपने गुण द्वारा प्रत्येक के साथ है तथा प्रत्येक खुली तथा गुप्त बात को जानता है ।

[4]एकान्त में हों अथवा लोगों के बीच, नगरों में हों अथवा वनों में, आबादियों में हों अथवा निर्जन पर्वतों, वनों तथा गुफाओं में, जहाँ भी हों उससे छिपे नहीं रह सकते ।

[5]अर्थात तदानुसार प्रत्येक को प्रतिकार देगा, सदाचारियों को उसके सदाचार का पुण्य तथा बुरे को उसके दुष्कर्मों का दण्ड ।

(८) क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी से रोक दिया गया था ? वे फिर भी उस निषेध किये हुए कार्य को पुन: करते हैं[1] तथा आपस में पाप की तथा अन्याय की एवं सन्देष्टा की अवज्ञा की कानाफूसियाँ करते हैं,[2] तथा जब तेरे पास आते हैं तो मुझे उन शब्दों में सलाम करते हैं, जिन शब्दों में अल्लाह (तआला) ने नहीं कहा[3] तथा अपने हृदय में कहते हैं कि अल्लाह (तआला) हमें हमारे इस कहने पर दण्ड क्यों नहीं देता ?[4]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑧

---

[1]इससे मदीने के यहूदी तथा मुनाफ़िक़ अभिप्राय हैं। जब मुसलमान उनके पास से गुज़रते तो यह परस्पर सिर जोड़ कर ऐसे कानाफूसी करते कि मुसलमान समझते कि सम्भवत: उनके विरूद्ध कोई षड़यंत्र रच रहे हैं, अथवा मुसलमानों की किसी सेना पर आक्रमण करके शत्रु ने क्षति पहुँचाई है, जिसकी सूचना उन्हें मिल गई है। मुसलमान इन बातों से भयभीत हो जाते। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार की काना-फूसियों से रोक दिया। परन्तु कुछ ही समय पश्चात उन्होंने फिर यह निंदित क्रम आरम्भ कर दिया। आयत में उनके इसी आचरण की चर्चा की जा रही है।

[2]अर्थात उनकी यह कानाफूसियाँ पुण्य तथा संयम की बातों में नहीं होतीं वरन् पाप, अत्याचार एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा पर आधारित होती हैं, जैसे ग़ीबत (पिशुनता) आक्षेप लगाना, अपशब्द, परस्पर रसूल की अवज्ञा पर उकसाना आदि।

[3]अर्थात अल्लाह ने तो सलाम का ढंग यह बतलाया कि तुम السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ कहो, परन्तु यह यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होते तो उसकी जगह कहते اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (तुम पर मौत हो)। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उत्तर में केवल यह कहते عَلَيْكُمْ अथवा عَلَيْكَ (तथा तुम पर ही हो), तथा आपने मुसलमानों को भी ताकीद की कि जब कोई यहूदी-इसाई सलाम करे तो उत्तर में عَلَيْكَ कहा करो, अर्थात عَلَيْكَ مَا قُلْتَ (तूने जो कहा वह तुझ पर ही पड़े) (सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब लम यकुनिन्नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला मुतफहिहशन)

[4]अर्थात वह परस्पर अथवा अपने मन में कहते कि यदि यह सच्चा नबी होता तो अल्लाह अवश्य हमारे दुष्कर्म पर हमारी पकड़ करता।

उनके लिए नरक पर्याप्त (दण्ड) है, जिसमें ये जायेंगे[1] तो वह कितना बुरा ठिकाना है।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ⑨

(९) हे ईमान वालो ! तुम जब कानाफूसी करो तो ये कानाफूसी पाप, उद्दण्डता एवं रसूल की अवज्ञा की न हो,[2] अपितु हित एवं सदाचार की बातों पर कानाफूसी करो,[3] तथा उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब एकत्र किये जाओगे।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَاۗرِّهِمْ شَيْـــًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑩

(१०) (बुरी) कानाफूसी शैतान का कार्य है, जिससे ईमानवालों को दुख हो,[4] यद्यपि अल्लाह तआला की इच्छा के बिना वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। तथा ईमानवालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें।[5]

---

[1]अल्लाह ने फ़रमाया कि यदि अल्लाह ने अपनी इच्छा तथा हिक्मत के कारण दुनिया में तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह परलोक में भी नरक की यातना से बच जायेंगे ? नहीं, निश्चय नहीं, नरक उनकी प्रतीक्षा में है जिसमें वह प्रवेश करेंगे।

[2]जैसे यहूद तथा मुनाफ़िक़ों का आचरण है। यह मानों मुसलमानों की शिक्षा एवं आचरण निर्माण के लिए कहा जा रहा है, कि यदि तुम अपने ईमान के दावे में सच्चे हो तो तुम्हारी कानाफूसियाँ यहूद तथा मुनाफ़िक़ों की भाँति पाप तथा उद्दण्डता पर नहीं होनी चाहिए।

[3]अर्थात जिसमें भलाई ही भलाई हो तथा जो अल्लाह एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज्ञापालन पर आधारित हो क्योंकि यही पुण्य कर्म एवं सदाचार है।

[4]पाप, अवज्ञा तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवहेलना पर आधारित काना-फूसियाँ शैतानी कार्य हैं, क्योंकि शैतान ही इन पर उकसाता है ताकि वह इसके द्वारा मोमिनों को दुखी तथा शोकग्रस्त कर दे।

[5]किन्तु यह कानाफूसियाँ तथा शैतानी गतिविधियाँ मोमिनों को कोई क्षति नहीं पहुँचा सकतीं किन्तु यह कि अल्लाह की इच्छा हो। इसलिए तुम अपने शत्रु की ओछी गतिविधियों से व्याकुल न हुआ करो। अपितु अल्लाह पर भरोसा करो, इसलिए कि सभी विषयों का अधिकार उसी के हाथ में है तथा वही प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है, न कि

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

(११) हे ईमानवालो ! जब तुम से कहा जाये कि सभाओं में तनिक खुल कर बैठो, तो तुम स्थान विस्तृत कर दो[1] अल्लाह (तआला) तुम्हें विस्तार प्रदान करेगा,[2] तथा जब कहा जाये कि उठकर खड़े हो जाओ,[3] तो तुम उठकर खड़े हो जाओ, अल्लाह (तआला) तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं तथा जो ज्ञान

यहूद एवं मुनाफ़िक़ जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं। एकांत की बातों के विषय में ही मुसलमानों को एक नैतिक निर्देश दिया गया है कि जब तुम तीन व्यक्ति एकत्र रहो तो उनमें एक को छोड़कर दो आपस में कानाफूसी न करें, क्योंकि यह ढंग उस एक व्यक्ति को दुखी कर देगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तीज़ान, मुस्लिम, किताबुस सलाम) हाँ, उसकी अनुमति एवं प्रसन्नता से ऐसा करना वैध (जायज़) है, क्योंकि इस दशा में दो व्यक्तियों का कानाफूसी करना किसी के लिए व्याकुलता का कारण नहीं होगा।

[1]इसमें मुसलमानों को सभा के शिष्टचार बताये जा रहे हैं। मजलिस शब्द सामान्य है, जो प्रत्येक उस मजलिस को सम्मिलित है जिसमें मुसलमान भलाई तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हों, शिक्षा-दिक्षा के लिये मजलिस हो या जुमा की हो। (तफ़सीर अल कुर्तबी) "खुल कर बैठो" का अभिप्राय है कि सभा की परिधि विस्तृत रखो ताकि बाद में आने वालों के लिये भी स्थान मिले। परिधि तंग न रखो कि जो बाद में आये खड़ा रहे अथवा दूसरे को हटाकर अपना स्थान बनाये। यह दोनों बातें असभ्य हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई व्यक्ति दूसरे को हटाकर उस स्थान पर न बैठे। अत: मजलिस का दायेरा विस्तृत कर लो (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअ:, मुस्लिम, किताबुस सलाम)

[2]अर्थात इसके बदले अल्लाह तुम्हें स्वर्ग में विस्तार तथा फैलाव प्रदान करेगा अथवा जहाँ भी तुम विस्तार एवं फैलाव चाहोगे, जैसे घर में, जीविका में, क़ब्र में, प्रत्येक जगह फैलाव प्रदान करेगा।

[3]अर्थात जिहाद के लिए, नमाज के लिए अथवा किसी भी भले काम के लिए अथवा अभिप्राय यह है कि जब मजलिस से उठकर जाने को कहा जाये तो तुरन्त चले जाओ। मुसलमानों को यह आदेश इसलिए दिया गया कि सहाबये केराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर जाना नहीं चाहते थे, किन्तु ऐसे कभी उन लोगों को दुख होता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एकांत में बात करना चाहते थे।

दिये गये हैं पद ऊँचे कर देगा।[1] तथा अल्लाह (तआला) (प्रत्येक उस कार्य से) जो तुम कर रहे हो (भली-भाँति) परिचित है।

(१२) हे मुसलमानो ! जब तुम रसूल से एकांत में बात करना चाहो, तो अपनी इस एकांत में बात करने से पूर्व कुछ दान कर दिया करो,[2] यह तुम्हारे पक्ष में उत्तम तथा पवित्रतम है,[3] हाँ, यदि न पाओ तो नि:संदेह अल्लाह (तआला) क्षमाशील दायलु है।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(१३) क्या तुम अपनी एकांत की बातों (काना-फूसी) से पूर्व दान करने से डर गये ? तो जब तुमने यह न किया तथा अल्लाह (तआला) ने भी तुम्हें क्षमा कर दिया[4] तो अब (उचित रूप से) नमाज़ों को स्थापित रखो, ज़कात देते रहा करो तथा अल्लाह (तआला)

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

---

[1]अर्थात ईमान वालों के दर्जे ईमान न लाने वालों पर तथा ज्ञानियों के दर्जे अज्ञानियों पर ऊंचा करेगा। जिसका अभिप्राय यह हुआ कि ईमान के साथ धार्मिक ज्ञान की जानकारी पद की अधिक उच्चता का कारण है।

[2]प्रत्येक मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुप्त बातें तथा एकांत में बातें करने की इच्छा रखता था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख होता था। कुछ कहते हैं कि मुनाफ़िक यूँ ही अकारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कानाफूसी करते थे, जिससे मुसलमानों को दुख होता था इसलिए अल्लाह ने यह आदेश उतारा ताकि आपसे बातचीत करने की साधारण भावना को रोका जाये।

[3]उत्तम इसलिए कि दान से तुम्हारे दूसरे दरिद्र मुसलमान भाइयों को लाभ पहुँचेगा तथा पवित्र इसलिए है कि यह एक पुण्य का कर्म तथा अल्लाह के आदेश का पालन है, जिससे मानव के मनों की शुद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात हुआ कि यह आदेश औचित्य के लिये था, अनिवार्य नहीं।

[4]यह आदेश यद्यपि अच्छाई के लिये था, फिर भी मुसलमानों के लिए भारी था। अत: अल्लाह ने शीघ्र ही उसे निरस्त कर दिया।

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

की तथा उसके संदेष्टा की आज्ञा का पालन करते रहो ।[1] और तुम जो कुछ भी करते रहो उन सबसे अल्लाह (भली-भाँति) परिचित है ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

(१४) क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस समुदाय से मित्रता की जिन पर अल्लाह क्रोधित हो चुका है ।[2] न ये (भ्रष्टाचारी) तुम्हारे ही हैं, न उनके हैं ।[3] तथा ज्ञान होने के उपरान्त भी झूठ पर सौगन्धें खा रहे हैं ।[4]

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

(१५) अल्लाह (तआला) ने उनके लिए कठोर यातना तैयार कर रखी है ।[5] निश्चित रूप से जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ

(१६) इन लोगों ने तो अपनी सौगन्धों को ढाल बना रखा है[6] तथा लोगों को अल्लाह के

---

[1]अर्थात अनिवार्य कर्तव्यों तथा आदेशों का निरंतर पालन उस दान का बदला बन जायेगा, जिसे अल्लाह ने तुम्हारी कठिनाई के लिए क्षमा कर दिया है ।

[2]जिन पर अल्लाह का क्रोध उतरा, वे पवित्र क़ुरआन की व्याख्यानुसार यहूद हैं तथा उनसे मित्रता करने वाले मुनाफ़िक़ लोग हैं । यह आयतें उस समय उतरीं जब मदीने में मुनाफ़िक़ों का ज़ोर था तथा यहूदियों का षड़यंत्र भी उन्नति पर था । अभी यहूदियों को देश निकाला नहीं दिया गया था ।

[3]अर्थात यह मुनाफ़िक़ (द्वयवादी) न मुसलमान हैं, न धर्म के अनुसार यहूदी ही हैं । फिर यह क्यों यहूदियों से मित्रता करते हैं ? मात्र इसलिए कि इनके तथा यहूद के बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा इस्लाम की शत्रुता का भाव समान है ।

[4]अर्थात सौगंध खाकर मुसलमानों को विश्वास दिलाते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे ही मुसलमान हैं अथवा यहूदियों से हमारे संबन्ध नहीं हैं ।

[5]अर्थात यहूदियों से मैत्री संम्बन्ध रखने तथा मिथ्या सौगंधें खाने के कारण ।

[6]أَيْمَان (ऐमान) يَمِين (यमीन) का बहुवचन है, अर्थ है सौगंध । अर्थात जैसे ढाल से शत्रु के आक्रमण को रोक कर अपना बचाव कर लिया जाता है, इसी तरह उन्होंने अपनी सौगन्धों को मुसलमानों की तलवार से बचने के लिए ढाल बना रखा है ।

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾

मार्ग से रोकते हैं,[1] तो उनके लिए अपमानकारी यातना है।

لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

(१७) उनका धन एवं उनकी संतान अल्लाह के समक्ष कुछ काम न आयेगा। यह तो नरक में जाने वाले हैं, सदैव ही उसमें रहेंगे।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

(१८) जिस दिन अल्लाह (तआला) उन सबको उठा खड़ा करेगा तो यह जिस प्रकार तुम्हारे समक्ष सौगन्ध खाते हैं, अल्लाह (तआला) के समक्ष भी सौगन्ध खाने लगेंगे[2] तथा समझेंगे कि वे भी किसी (तर्क) पर हैं,[3] विश्वास करो कि नि:संदेह वही झूठे हैं।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

(१९) उन पर शैतान ने प्रभाव प्राप्त कर लिया है[4] तथा उन्हें अल्लाह की याद भुला दिया है,[5] ये शैतान की सेना है। सुनो ! शैतान की सेना ही हानि उठाने वाली है।[6]

---

[1]अर्थात मिथ्या सौगन्धें खाकर यह स्वयं को मुसलमान दिखाते हैं, जिसके कारण बहुत लोगों को उनके सम्बन्ध में वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तथा वह उनके धोखे में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से वंचित रहते हैं। इस प्रकार यह अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकने का अपराध भी करते हैं।

[2]अर्थात उनके दुर्भाग्य तथा कठोर हृदय होने की चरम सीमा है कि क़यामत के दिन जहाँ कोई चीज़ गुप्त नहीं रहेगी, वहाँ भी यह अल्लाह के आगे मिथ्या सौगंधें खाने का दुस्साहस करेंगे।

[3]अर्थात जैसे संसार में मिथ्या सौगंधें खाकर कुछ अधिक लाभ प्राप्त कर लेते थे, वहाँ भी समझेंगे कि यह झूठी सौगंधें उनके लिए लाभदायक होंगी।

[4]اسْتَحْوَذَ का अर्थ 'घेर लिया', 'एकत्र कर लिया' है। इसलिए उसका अनवुाद 'प्रभुत्व प्राप्त कर लिया' किया जाता है, क्योंकि प्रभुत्व में यह सभी भावार्थ आ जाते हैं।

[5]अर्थात उसने जिन चीज़ों के करने का आदेश दिया है उनसे शैतान ने उनको विमुख कर दिया है तथा जिन चीज़ों से उन्हें मना किया है उन्हें उनसे कराता है, उन्हें सुन्दर दिखा कर, या भ्रम में डालकर, अथवा कामनाओं एवं अभिलाषाओं में फंसा कर।

[6]अर्थात पूर्ण घाटा उन्हीं के भाग में आयेगा। मानो दूसरे उनके सापेक्ष घाटे ही में नहीं

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

(२०) नि:संदेह अल्लाह (तआला) का तथा उसके सन्देष्टा का जो लोग विरोध करते हैं[1] वही लोग सर्वाधिक अपमानितों में हैं ।[2]

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

(२१) अल्लाह (तआला) लिख चुका है[3] कि नि:संदेह मैं तथा मेरे संदेष्टा प्रभावशाली (विजयी) रहेंगे । नि:संदेह अल्लाह तआला शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है ।[4]

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ

(२२) अल्लाह (तआला) पर तथा क़ियामत (प्रलय) के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह तथा उसके संदेष्टा के विरोधियों से प्रेम करते हुए कदापि न पायेंगे,[5] चाहे वे

हैं, इसलिए कि उन्होंने स्वर्ग का सौदा गुमराही से कर लिया, अल्लाह पर झूठ बोला तथा लोक-परलोक में मिथ्या सौगन्धें खाते रहे ।

[1] مُحَادَّةٌ (मुहाद्द:) ऐसे कड़े विरोध, शत्रुता तथा झगड़े को कहते हैं कि दोनों पक्षों का मेल अति मुश्किल हो । मानो दोनों दो किनारों (सीमा) पर हैं जो परस्पर प्रतिकूल हैं । इसी से यह 'रोकने' के अर्थ में प्रयोग होता है तथा इसीलिए द्वारपाल तथा पहरेदार को भी 'हद्दाद' कहा जाता है ।

[2] जैसे विगत् जातियों में से अल्लाह तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोधियों को अपमानित तथा विध्वंस्त किया गया, इनकी गणना भी उन्हीं अपमानितों में होगी । तथा उनके भाग में लोक तथा परलोक की विफलता एवं अपमान के सिवा कुछ हाथ न आयेगा ।

[3] अर्थात भाग्य तथा लौहे महफ़ूज (सुरक्षित पुस्तक) में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । यह विषय सूरह मोमिन ५१,५२ में भी वर्णन किया गया है ।

[4] जब इस बात का लेखक सब पर प्रभुत्वशाली एवं अति शक्तिमान है तो फिर दूसरा कौन है जो इस निर्णय को बदल सके ? अर्थ यह है कि यह निर्णय अटल भाग्य तथा पक्का आदेश है ।

[5] इस आयत में अल्लाह तआला ने स्पष्ट किया है कि जो अल्लाह के प्रति आस्था तथा परलोक के प्रति विश्वास में पूर्ण होते हैं, वह अल्लाह तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शत्रुओं से प्रेम तथा हार्दिक लगाव नहीं रखते । मानो ईमान तथा अल्लाह

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم
بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ
أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

उनके पिता अथवा उनके पुत्र अथवा उनके भाई अथवा उनके (परिवार के निकट) सम्बन्धी ही क्यों न हों ।[1] यही लोग हैं जिनके हृदय में अल्लाह (तआला) ने ईमान लिख दिया है[2] तथा जिनकी पुष्टि अपनी आत्मा से की है[3] तथा जिनको उन स्वर्गों में प्रवेश देगा जिनके नीचे (शीतल) जल की सरितायें प्रवाहित हैं, जहाँ ये सदैव रहेंगे, अल्लाह उनसे प्रसन्न है तथा ये अल्लाह से प्रसन्न हैं,[4] यह अल्लाह की

एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शत्रुओं से प्रेम तथा समर्थन एक दिल में एकत्रित नहीं हो सकते । यह विषय पवित्र क़ुरआन के अन्य भी कई स्थानों पर वर्णन किया गया है, जैसे *आले-इमरान*-२८, *सूर: तौबा*-२४, आदि ।

[1]इसलिए कि उनका ईमान उनको उनके प्रेम से रोकता है तथा ईमान का पक्ष पिता, पुत्र, भाई तथा वंश एवं परिवार के प्रेम और पक्ष से अधिक आवश्यक होता है, जैसाकि सहाबये केराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने यह करके दिखाया। एक मुसलमान सहाबी ने अपने पिता, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने चचा तथा मामा एवं अन्य सम्बन्धियों को हत करने में संकोच नहीं किया यदि वह कुफ्र के समर्थन में काफ़िरों के साथ लड़ने वालों में सम्मिलित होते । सीरत तथा इतिहास की किताबों में यह उदाहरण अंकित हैं। इस प्रकरण में बद्र के रण की यह घटना स्मरणीय है जब बद्र के बंदियों के विषय में परामर्श हुआ कि उनसे अर्थ दण्ड लेकर मुक्त कर दिया जाये अथवा हत कर दिया जाये, तो आदरणीय उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने यह विचार व्यक्त किया था कि प्रत्येक बंदी को उसके संबंधी को दे दिया जाये जिसे वह स्वयं अपने हाथों से वध करे। तथा अल्लाह को उमर का यही विचार पसन्द आया (विवरण के लिए देखिये *सूरह अंफ़ाल* -६७ की व्याख्या)

[2]अर्थात पक्का एवं दृढ़ कर दिया है।

[3]आत्मा से अभिप्राय अपनी विशेष सहायता अथवा ईमान का प्रकाश है जो उन्हें उनके उपरोक्त गुणों के कारण प्राप्त हुआ।

[4]अर्थात जब प्रथम मुसलमान, सहाबये केराम ईमान के आधार पर अपने संबन्धियों तथा समीपवर्त्तियों पर खिन्न हो गये। यहाँ तक कि उन्हें अपने हाथों हत करने में भी संकोच नहीं किया तो उसके बदले अल्लाह ने उन्हें अपनी प्रसन्नता प्रदान कर दी तथा उन पर इस प्रकार अपने अनुग्रह की वर्षा की कि वह अल्लाह से प्रसन्न हो गये। अत: आयत में

सेना है, जान लो कि नि:संदेह अल्लाह के गिरोह वाले ही सफल लोग हैं।[1]

सूरतुल हश्र-५९

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

सूर: हश्र* मदीने में अवतरित हुई, इसमें चौबीस आयतें तथा तीन रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(१) आकाशों एवं धरती की प्रत्येक वस्तु अल्लाह तआला की पवित्रता का वर्णन करती है, तथा वह प्रभावशाली हिक्मत वाला है।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(२) वही है जिसने अहले किताब में से काफ़िरों

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ

वर्णित सम्मान رضي الله عنهم و رضوا عنه यद्यपि विशेष रूप से सहाबा के बारे में अवतरित नहीं हुआ है, फिर भी वे इसका प्रथम चरितार्थ तथा पूर्ण चरितार्थ हैं। इसीलिए इसके शाब्दिक अर्थ को सामने रखते हुए उपरोक्त गुणों से युक्त प्रत्येक मुसलमान رضي الله عنه का पात्र बन सकता है, जैसे शाब्दिक भावार्थ के आधार पर प्रत्येक मुसलमान पर عليه الصلوٰة و السلام को (प्रार्थना वाक्य के रूप में) बोला जा सकता है। परन्तु अहले सुन्नत ने इनके शाब्दिक अर्थ से हटकर इनको आदरणीय सहाबा तथा अम्बिया के अतिरिक्त किसी और के लिये बोलना तथा लिखना उचित नहीं माना है। यह मानो प्रतीक है, رضي الله عنهم सहाबा के लिए तथा عليهم الصلوٰة والسلام अम्बियाए केराम के लिये। यह ऐसे ही है, जैसे رحمة الله عليه या رحمه الله (अल्लाह की दया उस पर हो अथवा अल्लाह उस पर दया करे) को शाब्दिक अर्थानुसार जीवित तथा मृत दोनों के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रार्थना वाक्य है जिसकी आवश्यकता जीवित तथा मृत दोनों को है, किन्तु इनका प्रयोग मृतों के लिए विशेष हो चुका है। इसलिए इसे जीवित के लिए प्रयोग नहीं किया जाता।

[1]अर्थात मोमिनों का यही गिरोह सफल होगा। दूसरे उनकी अपेक्षा ऐसे ही होंगे जैसे वह सफलता से पूर्णत: वंचित हैं, जैसाकि वस्तुत: परलोक में वह सफलता से वंचित होंगे।

*यह सूरह यहूद के एक क़बीले बनू नज़ीर के बारे में अवतरित हुई है। इसलिए इसको *सूरतुन्नज़ीर* भी कहते हैं। (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरतिल हश्र*)

أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ②

को उनके घरों से प्रथम हश्र (जमाव) के समय निकाला,[1] तुम्हारा अनुमान (भी) न था कि वे निकलेंगे तथा वह स्वयं (भी) समझ रहे थे कि उनके (सुदृढ़) दुर्ग उन्हें अल्लाह (के प्रकोप) से बचा लेंगें,[2] तो उन पर अल्लाह (का प्रकोप) ऐसे स्थान से आ पड़ा कि उन्हें अनुमान भी न था[3] तथा उनके हृदयों में अल्लाह (तआला) ने भय डाल दिया,[4] वे अपने

---

[1]मदीने के आसपास यहूदियों के तीन क़वीले आवाद थे, वनू नज़ीर, वनू कुरैज़ा तथा वनू कैनुकाअ। मदीना आने के बाद नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे संधि भी किया था, परन्तु यह लोग आन्तरिक रूप से षड़यन्त्र करते रहे तथा मक्का के काफ़िरों से भी मुसलमानों के विरूद्ध सम्पर्क रखा, यहाँ तक कि एक अवसर पर जव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गये हुए थे। वनू नज़ीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से एक भारी पत्थर फेंक कर आपको मार डालने की योजना वनाई, जिससे प्रकाशना (वहयी) द्वारा समय पर आपको सूचित कर दिया गया तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस गये। उनके इस संधि-भंग के कारण आपने उन पर आक्रमण किया। यह कुछ दिन अपने गढ़ों में वंद रहे। अन्ततः उन्होंने प्राण क्षमा के रूप में देश निकाला को स्वीकार किया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया। इसे अव्वले हश्र (पहली वार जमाव) से व्यंजित किया, क्योंकि यह उनका प्रथम देश निकाला था जो मदीने से हुआ। यहाँ से यह ख़ैवर में जाकर आवाद हो गये। वहाँ से आदरणीय उमर ने उन्हें फिर देश निकाला दिया तथा शाम (राज्य) की ओर ढकेल दिया, जहाँ कहते हैं कि सभी मनुष्यों का अंतिम जमाव होगा।

[2]इसलिए कि उन्होंने अति सुदृढ़ गढ़ वनाये थे जिस पर उन्हें गर्व था तथा मुसलमान भी समझते थे कि इतनी सरलता से यह गढ़ विजय नहीं हो सकेंगे।

[3]तथा वह यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें घेर लिया था जो उनके अनुमान तथा विचार में भी नहीं था।

[4]इस भय के कारण ही वह देश त्याग पर तैयार हो गये, अन्यथा अब्दुल्लाह बिन उबैय (मुनाफ़िक़ों के प्रमुख) तथा अन्य लोगों ने उन्हें संदेश भेजे थे कि तुम मुसलमानों के आगे झुकना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त, अल्लाह ने नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह विशेष गुण प्रदान किया था कि शत्रु एक महीने की दूरी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भयभीत हो जाता था। इसलिए उन पर अत्यन्त भय तथा

घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे[1] तथा मुसलमानों के हाथों (नष्ट करवा रहे थे)[2] तो हे आँखों वालो ! शिक्षा ग्रहण करो ।[3]

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۝٣

(३) तथा यदि अल्लाह (तआला) ने उन पर देश निकाला न लिख दिया होता तो निश्चित रूप से उन्हें संसार में ही यातना देता,[4] तथा परलोक में (तो) उनके लिए अग्नि की यातना है ही ।

डर छा गया तथा सभी संसाधनों के उपरान्त उन्होंने हथियार डाल दिये, तथा केवल यह शर्त मुसलमानों से मनवाई कि जितना सामान वह लाद कर ले जा सकते हैं उन्हें ले जाने की अनुमति हो । अत: इस अनुमति के कारण उन्होंने अपने घरों के द्वार तथा शहतीर तक उखाड़ डाले ताकि साथ ले जायें ।

[1]अर्थात जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब देश निकलना अनिवार्य है तो उन्होंने घेराव के बीच ही अपने घरों को ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया ताकि वह मुसलमानों के काम के न रहें । या यह अभिप्राय है कि सामान ले जाने की अनुमति का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए वह अपने-अपने ऊंटों पर जितना सामान लाद कर ले जा सकते थे, अपने घर उजाड़-उजाड़ कर वह सामान उन्होंने ऊंटों पर लाद लिया ।

[2]बाहर से मुसलमान उनके घरों को ध्वस्त करते रहे ताकि उन्हें पकड़ना सहज हो, अथवा यह अभिप्राय है कि उनके उधेड़े घरों से शेष सामान निकालने के लिए मुसलमानों को अधिक ध्वंस से काम करना पड़ा ।

[3]कि कैसे अल्लाह ने उनके दिलों में मुसलमानों का भय डाला जबकि वह एक शक्ति-शाली तथा संसाधन पूर्ण क़बीला था । किन्तु जब अल्लाह की ओर से कार्य का अवसर समाप्त हो गया तथा अल्लाह ने अपनी पकड़ में लाने का निर्णय कर लिया तो फिर उनकी शक्ति तथा साधन उनके काम नहीं आये, न अन्य सहायक तथा सहयोगी उनकी कुछ सहायता कर सके ।

[4]अर्थात अल्लाह के लेख में इसी प्रकार उनका देश निकाला पहले से अंकित न होता तो उनको इस संसार ही में घोर यातना दे दी जाती, जैसाकि उनके भाई यहूद के एक दूसरे क़बीले (कुरैज़ा) को ऐसी ही यातना में डाला गया कि उनके युवकों को वध कर दिया गया तथा दूसरों को बंदी बना लिया गया तथा उनका माल मुसलमानों के लिये ग़नीमत बना दिया गया ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٤

(४) यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह (तआला) तथा उसके सन्देष्टा का विरोध किया, तथा जो भी अल्लाह का विरोध करेगा तो अल्लाह (तआला) भी कठोर यातना देने वाला है।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

(५) तुमने खजूरों के जो वृक्ष काट डाले तथा जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर शेष रहने दिया, यह सब अल्लाह (तआला) के आदेश से था तथा इसलिए भी कि कुकर्मियों को अल्लाह (तआला) अपमानित करे।[1]

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى

(६) तथा उनका जो माल अल्लाह (तआला) ने अपने संदेष्टा के हाथ लगाया है जिस पर तुमने न घोड़े दौड़ाये हैं तथा न ऊँट, अपितु अल्लाह (तआला) अपने संदेष्टा को जिस पर चाहे प्रभावशाली कर देता है।[2] तथा अल्लाह

---

[1] لِيْنَةٍ (लीन:) खजूर की एक प्रकार है, जैसे अज्वा, बर्नी आदि खजूरों की किस्में हैं। घेराव के समय मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार बनू नज़ीर के खजूरों के वृक्षों को आग लगा दी, कुछ काट दिये तथा कुछ छोड़ दिये, जिसका लक्ष्य शत्रु की आड़ को समाप्त करना तथा यह स्पष्ट करना था कि अब मुसलमान तुम पर प्रभुत्वशाली हैं, वह तुम्हारे धन-सम्पत्ति में कुछ भी उपभोग करने का सामर्थ्य रखते हैं। अल्लाह ने भी मुसलमानों की इस नीति को उचित ठहराया तथा इसे यहूद के अपमान का कारण बताया।

[2] बनू नज़ीर का यह क्षेत्र जो मुसलमानों के अधिकार में आया, मदीने से तीन-चार मील की दूरी पर था। अर्थात मुसलमानों को इसके लिए लम्बी यात्रा की आवश्यकता नहीं हुई, अर्थात मुसलमानों को ऊँट, घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े। ऐसे ही लड़ना भी नहीं पड़ा तथा संधि द्वारा यह क्षेत्र विजय हो गया। अर्थात अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना लड़े उन पर प्रभुत्व प्रदान कर दिया। इसलिए यहाँ से प्राप्त माल को 'फै' माना गया जिसका आदेश ग़नीमत (परिहार) से भिन्न है। मानो वह माल 'फै' है, जो शत्रु बिना लड़े छोड़ कर भाग जाये अथवा समझौता से प्राप्त हो। तथा जो धन ग़नीमत रूप से लड़ाई तथा प्रभुत्व प्राप्त करने से मिले, वह 'ग़नीमत' है। 'ग़नीमत' का नियम यह है कि उसके पाँच भाग किये जायें, चार भाग मुजाहिदों में विभाजित होंगे तथा पाँचवां भाग अल्लाह के रसूल के लिए अर्थात मुसलमानों के बैतुलमाल (कोष गृह) के

तआला प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है।

(७) बस्तियों वालों का जो (धन) अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे युद्ध किये बिना ही अपने संदेष्टा के हाथ लगाया, वह अल्लाह का है तथा रसूल का, निकट सम्बन्धियों का, अनाथों का, निर्धनों का एवं यात्रियों का है[1] ताकि तुम्हारे धनवानों के हाथों में ही यह धन चक्कर लगाता न रह जाये,[2] तथा तुम्हें जो कुछ रसूल दें तो ले लो और जिससे रोकें रुक जाओ[3] तथा अल्लाह (तआला) से डरते

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑥
مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ
الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ
بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَآ اٰتٰىكُمُ
الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑦

लिए हैं। परन्तु फ़ै का माल मुजाहिदों में बाँटा नहीं जायेगा। सभी माल अल्लाह के रसूल का है, अर्थात मुसलमानों के बैतुलमाल में रखा जायेगा।

[1]यह पुनरावृत्ति बल देने के लिए है। किन्तु इस आयत में फ़ै के माल का नियम भी वर्णन किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश केवल बनू नजीर के मालों के लिए नहीं है, अपितु जब भी जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी यही आदेश होगा। अल्लाह का नाम शुभ के लिये है। उद्देश्य रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा आप के नातेदारों की चर्चा है, जिससे बनू हाशिम तथा बनू मुत्तलिब अभिप्राय है। जैसाकि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से अपनी पवित्र पत्नियों का पूरे वर्ष का ख़र्च वसूल करते थे तथा शेष माल हथियारों की ख़रीदारी तथा जिहाद की तैयारी में लगा देते। (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरतिल हश्र*)

[2]دُوْلَةً (दूलह) उस चीज़ को कहते हैं जो कुछ लोगों के बीच फिरती रहे, उनसे बाहर न निकले। यह माले फ़ै के उपभोग का कारण बताया है। उसे मुजाहिदीन में विभाजित करने की जगह बैतुल माल का हिस्सा इसलिए क़रार दिया है कि यह धन धनवानों के बीच ही न फिरता रहे। अपितु समाज के योग्य लोग भी उससे लाभ प्राप्त करें।

[3]यहाँ पर आदेश यद्यपि फ़ै के माल के सम्बन्ध में आया है जिसका लक्ष्य मुसलमानों के दिलों में रसूल के अनुपालन का महत्व उजागर करना है कि जो माल वह तुम्हें दें वह स्वीकार कर लो, जिससे रोक दें रुक जाओ। इस पर अपने दिलों में कोई तंगी किसी संकोच का संवेद न करो, किन्तु आदेश साधारण है। रसूल जो भी आदेश दें उसे पूरा करो तथा जिस काम से रोक दें उसके समीप न जाओ, क्योंकि अल्लाह ने जो भी धार्मिक आदेश (निषेधाज्ञा) दिये हैं वह रसूल ही के द्वारा दिये हैं। अत: रसूल का अनुपालन किये

रहा करो, नि:संदेह अल्लाह (तआला) कठोर यातना वाला है।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿٨﴾

(८) (फ़ै का धन) उन निर्धन मुहाजिरों के लिए है जो अपने घरों से तथा अपने धनों से निकाल दिये गये हैं। वे अल्लाह की कृपा तथा प्रसन्नता के इच्छुक हैं तथा अल्लाह (तआला) की और उसके संदेष्टा की सहायता करते हैं, यही सत्यवादी लोग हैं।[1]

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

(९) तथा (उनके लिए) जिन्होंने इस घर में (अर्थात मदीने में) तथा ईमान में उनसे पूर्व स्थान बना लिया है[2] तथा अपनी ओर

बिना धर्मविधान के अनुसार कर्म संभव ही नहीं है। सहीह हदीस में आता है कि अब्दुल्लाह पुत्र मसऊद ने एक बार कहा कि अल्लाह उन स्त्रियों पर धिक्कार करता है जो गोदना गोदवाये तथा जो गोदे, जो अपनी ललाट के बाल नोचे तथा जो शोभा के लिए अपने आगे के दाँतों को दूर-दूर करे। एक औरत को पता लगा तो मसऊद के पुत्र के पास आई तथा कहा कि मैंने सुना है कि आप ने अमुक-अमुक महिलाओं पर धिक्कार की है। उन्होंने कहा कि हाँ, सही है। जिन पर अल्लाह के रसूल ने धिक्कार भेजी है तथा जो अल्लाह की किताब में है, मैं उस पर धिक्कार क्यों न भेजूं। उस महिला ने कहा कि मुझे तो पूरे क़ुरआन में यह धिक्कार नहीं दिखाई दी। आपने फ़रमाया : यदि तू क़ुरआन समझ कर पढ़ती तो निश्चय इस बात को उस में पा लेती। क्या तूने यह आयत नहीं पढ़ी ? ﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾ महिला ने कहा कि हाँ, यह आयत तो है। आप ने फ़रमाया कि बस अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों से रोका है जो महिलायें करती हैं। (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरतिल हश्र*) अर्थात इब्ने मसऊद ने रसूल की आज्ञा को स्वयं अल्लाह का आदेश बताया।

[1]इसमें फ़ै के माल का एक सही व्यय बताया गया है तथा साथ ही मुहाजिरीन की श्रेष्ठता तथा विशुद्धता एवं उनकी सत्यवादिता का स्पष्टीकरण है, जिसके बाद उनके ईमान में सन्देह करना मानो क़ुरआन का इंकार करना है।

[2]इससे अभिप्राय मदीना के अंसार हैं जो मुहाजिरीन के मदीने आने से पहले मदीने में आबाद थे तथा मुहाजिरीन के हिजरत करके आने से पहले ईमान भी उनके दिलों में रच-बस गया था। यह अभिप्राय नहीं है कि मुहाजिरीन के ईमान लाने से पहले यह

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

स्थानान्तरण करके आने वालों से प्रेम करते हैं तथा मुहाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये, उससे वे अपने सीनों में कोई संकोच नहीं करते,[1] अपितु स्वयं अपने ऊपर उनको प्राथमिकता देते हैं चाहे स्वयं उनको कितनी ही अधिक आवश्यकता हो,[2] (बात यह है) कि जो भी अपनी मनोकाँक्षा की कंजूसी से बचाया गया वही सफल (एवं लक्ष्य प्राप्त) है।[3]

अंसार ईमान ला चुके थे, क्योंकि उनकी अधिक संख्या मुहाजिरीन के ईमान लाने के पश्चात ईमान लाई है। अर्थात مِنْ قَبْلِهِم का अर्थ مِنْ قَبْلِ هِجرتِهِم है तथा دارٌ (दार) से अभिप्राय دَارُالْهِجْرَة अर्थात मदीना है।

[1]अर्थात मुहाजिरीन को अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दें उस पर ईर्ष्या तथा संकोच महसूस नहीं करते, जैसे फ़ै के माल का प्रथम अधिकारी भी उन्हीं को बनाया गया, किन्तु अंसार ने इसको बुरा नहीं माना।

[2]अर्थात अपने मुक़ाबले में मुहाजिरीन की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं, परन्तु मुहाजिरीन को खिला देते हैं। जैसे हदीस में एक वाक़्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अतिथि आया, परन्तु आप के घर में कुछ न था। एक अंसारी उसे अपने घर ले गया। घर जाकर बतलाया तो पत्नी ने कहा कि घर में तो केवल बच्चों का खाना है। उन्होंने परस्पर परामर्श किया कि बच्चों को भूखा सुला दिया जाये तथा हम भी ऐसे ही कुछ खाये बिना रह जायें। हाँ, अतिथि को खिलाते समय दीप बुझा देना ताकि उसे हमारे विषय में ज्ञान न हो कि हम उसके साथ खाना नहीं खा रहे हैं। सवेरे जब वह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए तो आपने उनसे फ़रमाया कि अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने तुम दोनों पति-पत्नी के सम्बंध में यह आयत उतारी है وَ يُؤْثِرُونَ على انفُسِهِم। (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरतिल हश्र*) उनके त्याग का यह भी एक विचित्र आदर्श है कि एक अंसारी के पास दो पत्नियाँ थीं तो उसने एक पत्नी को तलाक़ देने का प्रस्ताव रखा कि इद्दत (अवधि) के बाद उससे उसका दूसरा मुहाजिर भाई विवाह कर ले। (बुख़ारी, किताबुन निकाह)

[3]हदीस में है कि मनोकाँक्षा से बचो, क्योंकि इस मनोकाँक्षा ने ही पहले लोगों का विनाश किया। उसी ने उन्हें रक्तपात पर तैयार किया तथा उन्होंने निषेधित (हराम) को वैध (उचित) बना लिया। (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र, बाबु तहरीमिज़् ज़ुल्मे)

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑩

(१०) तथा (उनके लिए) जो उनके पश्चात आयें, जो कहेंगे कि हे हमारे प्रभु ! हमें क्षमा कर दे तथा हमारे उन भाईयों को भी जो हमसे पूर्व ईमान ला चुके हैं तथा ईमानवालों की ओर से हमारे हृदय में कपट (एवं शत्रुता) न डाल,[1] हे हमारे प्रभु ! नि:संदेह तू प्रेम एवं दया करने वाला है।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ

(११) क्या तूने अवसरवादियों को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफ़िर भाईयों से कहते हैं कि यदि तुम देश से निकाल दिये गये, तो हम भी अवश्य तुम्हारे साथ देश छोड़ देंगे तथा तुम्हारे विषय में हम कभी भी

---

[1]यह फ़ै धन के पात्रों की तीसरा प्रकार है, अर्थात सहाबा के पश्चात आने वाले तथा उनके अनुगामी। इसमें ताबईन तबये ताबईन तथा क़ियामत तक होने वाले सभी ईमानवाले तथा सदाचारी आ गये। किन्तु प्रतिबन्ध यही है कि वह अंसार तथा मुहाजिरीन को मोमिन मानें तथा उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हों, न कि उनके ईमान में संदेह करते हों तथा उन्हें अपशब्द कहते तथा उनके विरोध में अपने दिल में कपट तथा शत्रुता की भावना रखते हों। इमाम मालिक ने इस आयत से अर्थ निकालते हुए यही बात कही है।

«إِنَّ الرَّافِضِيَّ الَّذِي يَسُبُّ الصَّحَابَةَ، لَيْسَ لَهُ فِي مَالِ الْفَيْءِ نَصِيبٌ؛ لِعَدَمِ اتِّصَافِهِ بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ هٰؤُلَاءِ فِي قَوْلِهِمْ».

"अर्थात राफ़ज़ी को, जो सहाबये केराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम को अपशब्द कहते हैं, फ़ै के धन से भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने सहाबये केराम की प्रशंसा की है तथा राफ़ेज़ी उनकी निन्दा करते हैं।" (इब्ने कसीर)

तथा आदरणीय आयशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं :

«أُمِرْتُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَسَبَبْتُمُوهُمْ! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ: «لَا تَذْهَبُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا».

"तुम लोगों को मुहम्मद के सहचरों के लिए क्षमा-याचना का आदेश दिया गया, किन्तु तुमने उन्हें अपशब्द कहा। मैंने तुम्हारे नबी को कहते हुए सुना कि यह सम्प्रदाय उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि उसके बाद वाले पहले वाले लोगों को अपशब्द न कहें।" (इब्ने कसीर, रवाहुल बग़वी)

أَحَدًا أَبَدًا ۙ وَّإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿١١﴾

किसी की बात स्वीकार न करेंगे तथा यदि तुम से युद्ध किया जायेगा तो अवश्य हम तुम्हारी सहायता करेंगे,[1] परन्तु अल्लाह (तआला) गवाही देता है कि ये सर्वथा झूठे हैं ।[2]

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾

(१२) यदि वे देश से निकाल दिये गये, तो ये उनके साथ न जायेंगे तथा यदि उन से युद्ध छिड़ गया तो ये उनकी सहायता (भी) नहीं करेंगे,[3] तथा यदि यह (मान भी लिया जाये कि) सहायता पर आ भी गये[4] तो पीठ दिखाकर (भाग खड़े) होंगे,[5] फिर सहायता न किये जायेंगे ।[6]

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

(१३) (मुसलमानो ! विश्वास करो) कि तुम्हारा भय उनके सीनों में[7] अल्लाह के भय की तुलना में बहुत अधिक है, यह इसलिए कि ये समझते नहीं ।[8]

---

[1]जैसे पहले गुज़र चुका कि बनू नज़ीर को मुनाफ़िक़ों ने यह संदेश भेजा था ।

[2]जैसाकि उनका झूठ खुल कर रहा । बनू नज़ीर देश निकाला दे दिये गये, किन्तु ये उनकी सहायता को पहुँचे न उनके समर्थन में मदीना छोड़ने पर तैयार हुए ।

[3]यह अवसरवादी (मुनाफ़िक़ों) के विगत् मिथ्या वचनों का अधिक विवरण है । तथा ऐसा ही हुआ, बनू नज़ीर देश निकाला दे दिये गये तथा बनू क़ुरैज़ा हत किये गये तथा बंदी बनाये गये, परन्तु मुनाफ़िक़ उनकी सहायता के लिए नहीं पहुँचे ।

[4]यह काल्पनिक बात की जा रही है, अन्यथा जिस चीज़ को अल्लाह नकार दे उसका अस्तित्व क्योंकर संभव है । अभिप्राय यह है कि यदि यह यहूद की सहायता करने का विचार करें ।

[5]अर्थात पराजित होकर ।

[6]अभिप्राय यहूदी हैं । अर्थात जब उनके सहयोगी मुनाफ़िक़ ही पराजित होकर भाग खड़े होंगे तो यहूद कैसे विजयी तथा सफल होंगे ? कुछ ने इससे अभिप्राय मुनाफ़िक़ लिये हैं कि वह सहायता नहीं किये जायेंगे । बल्कि अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा तथा उनका निफ़ाक़ (द्वयवाद) उनके लिए लाभप्रद नहीं होगा ।

[7]यहूद के या मुनफ़िक़ों के अथवा सभी के दिलों में ।

[8]अर्थात तुम्हारा यह भय उनके दिलों में उनकी नासमझी के कारण है । अन्यथा यदि वह

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

(१४) ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते, परन्तु यह अलग बात है कि गढ़ से घिरे स्थानों में हों अथवा दीवारों की ओट में हों,[1] उनकी लड़ाई तो आपस में ही अत्यन्त कठोर है,[2] यद्यपि आप उनको एकमत समझ रहे हैं किन्तु वास्तव में उनके हृदय आपस में भिन्न हैं,[3] यह इसलिए कि ये बुद्धिहीन लोग हैं।[4]

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

(१५) उन लोगों की भाँति जो उनसे कुछ ही पूर्व गुज़रे हैं, जिन्होंने अपने पापों का स्वाद चख लिया[5] तथा जिनके लिए दुखदायी यातना (तैयार) है।[6]

समझ रखेते तो समझ जाते कि मुसलमानों का प्रभुत्व तथा विजय अल्लाह की ओर से है, इसलिए डरना अल्लाह ही से चाहिए, न कि मुसलमानों से।

[1]अर्थात यह यहूद तथा मुनाफ़िक़ मिलकर भी खुले मैदान में तुमसे लड़ने का साहस नहीं रखते। हां, दुर्गों में बंद होकर अथवा दीवार के पीछे छिपकर तुम पर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह अत्यन्त कायर हैं तथा तुम्हारे भय से कंपित तथा भयभीत हैं।

[2]यह परस्पर घोर विरोधी हैं। इसलिए उनमें परस्पर तू तुकार तथा धुक्का अपमान सामान्य है।

[3]यह मुनाफ़िक़ों के आपस में दिलों की स्थिति है, अथवा यहूद तथा मुनाफ़िक़ों के, अथवा मुशरिकों एवं अहले किताब के। अभिप्राय यह है कि यह सत्य के विरोध में एक दिखाई देते हैं, किन्तु उनके दिल एक नहीं हैं। वह परस्पर विरोधी हैं तथा एक-दूसरे के विपरीत रोष तथा शत्रुता से भरे हुए हैं।

[4]अर्थात यह मतभेद तथा बिखराव उनकी नासमझी के कारण है। यदि उनके पास समझ-बूझ होती तो यह सत्य को पहचान लेते तथा उसे अपना लेते।

[5]इससे कुछ ने मक्का के बहुदेववादी (मुशरेकीन) तात्पर्य लिये हैं, जिन्हें बनू नजीर के युद्ध से कुछ पहले बद्र के युद्ध में शिक्षाप्रद पराजय हुई थी। अर्थात यह भी अपमान तथा पराजय में मुशरिकों ही के सदृश हैं जिनका समय निकट ही है। कुछ ने यहूद का दूसरा कबीला बनू कैनुकाअ अभिप्राय लिया है, जिन्हें बनू नजीर से पहले देश निकाला दिया जा चुका था, जो समय तथा स्थान दोनों के अनुसार उनके समीप थे। (इब्ने कसीर)

[6]अर्थात यह दण्ड जो उन्होंने चखा यह तो सांसारिक दंड है। आख़िरत का दण्ड इसके अतिरिक्त है जो अति दुखद होगा।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ⑯

(१६) शैतान की भाँति कि उसने मनुष्य से कहा, कुफ्र कर, जब वह कुफ्र कर चुका तो कहने लगा कि मैं तो तुझसे अलग हूँ।[1] मैं तो अखिल जगत के प्रभु से डरता हूँ।[2]

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ⑰

(१७) तो दोनों का परिणाम यह हुआ कि (नरक की) अग्नि में सदा के लिए गये तथा अत्याचारियों का यही दण्ड है।[3]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑱

(१८) हे ईमानवालो ! अल्लाह से डरते रहो[4] तथा प्रत्येक व्यक्ति देख-भाल ले कि कल (क़यामत अर्थात प्रलय) के लिए उसने कर्मों का क्या (भण्डार) भेजा है।[5] तथा (प्रत्येक समय) अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह तुम्हारे सारे कर्मों से परिचित है।[6]

---

[1]यह यहूद तथा मुनाफ़िक़ों का एक और उदाहरण दिया है कि मुनाफ़िक़ों ने यहूदियों को ऐसे ही असहाय छोड़ दिया जैसे शैतान इंसान के साथ व्यवहार करता है, पहले वह इंसान को पथभ्रष्ट करता है तथा जब इंसान शैतान का अनुसरण करके कुफ्र कर लेता है तो शैतान उससे अपनी निर्दोषता दिखाने लगता है।

[2]शैतान अपने इस कथन में सच्चा नहीं है। उद्देश्य केवल उस कुफ्र से अलगाव तथा निर्दोषता दिखाना है, जो इंसान शैतान के गुमराह करने से करता है।

[3]अर्थात नरक की स्थायी यातना।

[4]ईमानवालों को संबोधित करके उन्हें सदुपदेश दिया जा रहा है। अल्लाह से डरने का अर्थ है उसने जिन चीज़ों का आदेश दिया है उन्हें पूरा करो, जिनसे रोका है उनसे रुक जाओ। आयत में यह बल देने के लिए दो बार फ़रमाया है, क्योंकि यह 'तक़्वा' (अल्लाह का भय) ही इंसान को सत्कर्म करने तथा बुराई से रुकने पर तैयार करता है।

[5]कल से अभिप्राय क़यामत (प्रलय) है। उसे कल से व्यंजित करके इस ओर भी संकेत कर दिया कि उसका होना बहुत दूर नहीं, समीप ही है।

[6]जैसाकि वह प्रत्येक को उसके कर्म का फल देगा, अच्छे को अच्छा तथा बुरे को बुरा।

(१९) तथा तुम उन लोगों की भाँति न हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह (के आदेशों) को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से भुला दिया। ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी (दुराचारी) होते हैं।[1]

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ⑲

(२०) नरक वाले तथा स्वर्ग वाले, (आपस में) समान नहीं,[2] जो स्वर्ग वाले हैं वही सफल हैं।[3]

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ⑳

(२१) यदि हम इस क़ुरआन को किसी पर्वत पर अवतरित करते,[4] तो तू देखता कि अल्लाह

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

---

[1]अर्थात अल्लाह ने प्रतिकार स्वरूप उन्हें ऐसा कर दिया कि वे ऐसे कर्मों से निश्चिन्त हो गये जिनमें उनका लाभ था तथा जिन के द्वारा स्वयं को अल्लाह की यातना से बचा सकते थे। इस प्रकार इंसान अल्लाह को भूल कर स्वयं को भूल जाता है। उसकी मत उसे सही निर्देश नहीं देती, आँखें उसे सत्य का मार्ग नहीं दिखातीं तथा उसके कान सत्य सुनने से बहरे हो जाते हैं। फलस्वरूप उससे ऐसे कर्म होते हैं जिनमें उसका अपना विनाश होता है।

[2]जिन्होंने अल्लाह को भुलाकर यह बात भी भुलाये रखी कि इस प्रकार वह स्वयं अपने ही प्राणों पर अत्याचार कर रहे हैं तथा एक दिन आयेगा कि इसके फलस्वरूप उनके यह शरीर, जिनके लिए वह संसार में बड़े-बड़े पापड़ बेलते थे, नरक की अग्नि का ईंधन बनेंगे, तथा उनके मुक़ाबले में दूसरे वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। उसके आदेशानुसार जीवन निर्वाह किया। एक समय आयेगा कि अल्लाह तआला उन्हें उसका उत्तम प्रत्युपकार प्रदान करेगा तथा अपने स्वर्ग में उन्हें प्रविष्ट करेगा, जहाँ उनके आराम के लिए हर प्रकार की सुख-सुविधायें होंगी। यह दोनों गिरोह अर्थात नरक वाले तथा स्वर्ग वाले समान नहीं होंगे। भला यह बराबर हो भी कैसे सकते हैं ? एक ने अपने अंत (परिणाम) को याद रखा तथा उसके लिए तैयारी करता रहा। दूसरा अपने अंत से निश्चिन्त रहा इसलिए उसके लिए तैयारी में भी अपराधपूर्ण विमुखता अपनायी।

[3]जैसे परीक्षा की तैयारी करने वाला सफल तथा अन्य असफल होता है। इसी प्रकार ईमानवाले तथा संयमी स्वर्ग प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे, क्योंकि वह संसार में इस के लिए सत्कर्म करके तैयारी करते रहे। संसार कर्मगृह तथा परीक्षा घर जैसा है, जिसने इस तथ्य को समझ लिया तथा वह परिणाम से निश्चिन्त होकर जीवन निर्वाह नहीं किया वह सफल रहा तथा जो संसार की वास्तविकता को समझने से विवश तथा परिणाम से विमुख अवज्ञा एवं दुराचार में लीन रहा वह क्षतिग्रस्त तथा असफल होगा।

[4]और पर्वतों में समझ एवं ज्ञान की वह क्षमता पैदा कर देते जो हमने मनुष्य के अंदर रखी है।

خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

के भय से वह झुक कर कण-कण हो जाता ।[1] हम इन उदाहरणों को लोगों के समक्ष वर्णन करते हैं ताकि वे चिन्तन-मनन करें ।[2]

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

(२२) वही अल्लाह है जिसके अतिरिक्त कोई (सच्चा) पूज्य नहीं, गुप्त[3] एवं प्रकट का जानने वाला, वही क्षमा तथा दया करने वाला ।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

(२३) वही अल्लाह है जिसके अतिरिक्त कोई (सच्चा) पूज्य नहीं, स्वामी, अत्यन्त पवित्र, सभी दोषों से मुक्त, शान्ति प्रदान करने वाला, रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, महान, पवित्र है अल्लाह उन वस्तुओं से जिन्हें ये उसका साझीदार बनाते हैं ।

---

[1]अर्थात हमने पवित्र क़ुरआन में जो प्रभाव, स्वच्छता, शक्ति एवं तर्क तथा शिक्षा एवं उपदेश के ऐसे पक्ष वर्णन किये हैं कि उन्हें सुनकर पर्वत भी इतनी कड़ाई, विस्तार एवं ऊँचाई के उपरान्त अल्लाह के भय से कण-कण हो जाते । यह इंसान को बतलाया तथा समझाया जा रहा है कि तुझे समझ-बूझ की योग्यता दी गई है, किन्तु यदि क़ुरआन सुनकर तेरे दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो तेरा परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

[2]ताकि वह क़ुरआन के उपदेशों से शिक्षा ग्रहण करें तथा धमकियों को सुनकर अवज्ञाओं से बचें । कुछ कहते हैं कि इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित किया गया है कि हमने आप पर यह पवित्र क़ुरआन उतारा जो ऐसा प्रतिष्ठावान है कि यदि हम किसी पर्वत पर उतारते तो वह कण-कण हो जाता । किन्तु आप पर हमारा यह अनुग्रह है कि हमने आपको इतना दृढ़ एवं बलवान कर दिया कि आपने उस चीज़ को सहन कर लिया, जिसे सहन करने की शक्ति पर्वत में भी नहीं है । (फ़तहुल क़दीर) उसके बाद अल्लाह तआला अपने गुणों का वर्णन कर रहा है, जिसका उद्देश्य तौहीद को प्रमाणित करना तथा शिर्क (अनेकेश्वरवाद) का खंडन है ।

[3]परोक्ष सृष्टि के एतबार से है । अन्यथा अल्लाह के लिए कोई वस्तु अप्रत्यक्ष नहीं । अभिप्राय यह है कि वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को जानता है, चाहे वह सामने हो अथवा हमसे ओझल, यहाँ तक कि वह अंधेरों में रेंगती चींटी को भी जानता है ।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

(२४) वही अल्लाह है पैदा करने वाला, बनाने वाला,[1] रूप देने वाला, उसी के लिए (अत्यन्त) शुभ नाम हैं ।[2] प्रत्येक वस्तु चाहे आकाशों में हों अथवा धरती में हो उसकी पवित्रता का वर्णन करती हैं,[3] तथा वही प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला हैं ।[4]

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

सूरतुल मुम्तहिनः-६०

सूरः मुम्तहिनः मदीने में अवतरित हुई तथा इसमें तेरह आयतें तथा दो रूकूअ हैं ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا

(१) हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! मेरे तथा अपने शत्रुओं को अपना मित्र न बनाओ,[5] तुम

---

[1]कहते हैं कि خلق (ख़ल्क़) का अभिप्राय अपनी इच्छा तथा इरादे के अनुसार अनुमान लगाना है तथा برأ (बर्अ) का अर्थ है उसे पैदा करना, गढ़ना, अस्तित्व में लाना ।

[2]أسماء حسنى (अल्लाह के शुभ नामों की चर्चा) सूरः आराफ़ १८० में हो चुकी है ।

[3]स्थिति से तथा मुख से भी जैसाकि पहले वर्णित हुआ ।

[4]जिस चीज़ का निर्णय करता है वह हिक्मत से ख़ाली नहीं होता ।

[5]मक्का के काफ़िरों तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच हुदैबिया में जो समझौता हुआ था मक्का वालों ने उसका उल्लंघन किया । इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुप्त रूप से मुसलमानों को लड़ाई की तैयारी का आदेश दे दिया । आदरणीय हातिब पुत्र अबू बल्तआ एक बद्री मुहाजिर सहाबी थे जिनको कुरैश के साथ कोई नाता नहीं था, परन्तु उनकी पत्नी तथा बच्चे मक्का ही में थे । उन्होंने सोचा कि मैं मक्का के कुरैश को आपकी तैयारी से सूचित कर दूँ ताकि इस उपकार के बदले वह मेरे बाल-बच्चों का ध्यान रखें । उन्होंने यह संदेश एक नारी के माध्यम से लिखित रूप में मक्कावासियों की ओर भेज दिया, जिसकी सूचना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रकाशना द्वारा दे दी गई । आपने आदरणीय अली, मिकदाद तथा ज़ुबैर से फ़रमाया कि जाओ, रौज़ये खाख (एक स्थान का नाम) पर एक महिला होगी जो मक्का जा रही होगी, उसके पास एक पत्र है, वह ले आओ । यह लोग

عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

तो मित्रता से उनकी ओर संदेश भेजते हो,[1] और वे उस सत्य का जो तुम्हारे पास आ चुका है इंकार करते हैं, संदेष्टा को तथा स्वयं तुमको भी मात्र इस कारण से निष्कासित करते हैं कि तुम अपने प्रभु पर ईमान रखते हो।[2] यदि तुम मेरे मार्ग में धर्मयुद्ध के लिए तथा मेरी प्रसन्नता की खोज में निकले हो (तो उनसे मित्रता न करो)[3] तुम उनके पास प्रेम का संदेश छिपा-छिपा कर भेजते हो तथा मुझे भली-भाँति ज्ञात है जो तुमने छिपाया तथा वह भी जो तुमने प्रकट किया, तुममें से जो भी इस कार्य को करेगा वह निःसंदेह सीधे मार्ग से भटक जायेगा।[4]

गये एवं उससे वह पत्र ले आये, जो उसने सिर के बालों में छिपा रखा था। आप ने आदरणीय हातिब से पूछा कि यह तुमने क्या किया। उन्होंने कहा कि यह काम मैंने कुफ़्र तथा इस्लाम धर्म से फिर जाने के लिए नहीं किया। बल्कि इसका कारण केवल यह है कि अन्य मुहाजिरों के संबन्धी मक्का में हैं जो उनके बाल-बच्चों की रक्षा करते हैं। मेरा वहाँ कोई सम्बन्धी नहीं हैं तो मैंने सोचा कि मक्का वालों को सूचित कर दूँ, ताकि वह मेरे आभारी रहें तथा मेरे बच्चों की रक्षा करें। आपने उनकी सच्चाई के कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर भी अल्लाह ने चेतावनी के रूप में यह आयतें उतारीं ताकि भविष्य में कोई मुसलमान किसी काफ़िर के साथ ऐसा मैत्री सम्बन्ध स्थापित न करे। (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरतिल मुम्तहिन:*, मुस्लिम किताबु फ़ज़ायेलिस सहाबा)

[1]अर्थ यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूचना उन तक पहुँचाकर उनसे मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हो ?

[2]जब उनका तुम्हारे साथ तथा सत्य के साथ यह व्यवहार है तो तुम्हारे लिये क्या यह उचित है कि तुम उनसे प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करो ?

[3]यह शर्त के लुप्त उत्तर का अनुवाद है।

[4]अर्थात मेरे और अपने शत्रुओं से प्रेम का नाता जोड़ना और उन्हें गुप्त रूप से पत्र एवं संदेश भेजना पथभ्रष्टता का मार्ग है, जो किसी भी मुसलमान की मर्यादा के अनुरूप नहीं।

(२) यदि वे तुम पर कहीं क़ाबू पा लें तो वे तुम्हारे (खुले) शत्रु हो जायें तथा बुराई के साथ तुम पर हाथ उठाने लगें तथा अपशब्द कहने लगें तथा (दिल से) चाहने लगें कि तुम भी कुफ्र करने लगो ।[1]

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

(३) तुम्हारी नातेदारियाँ (एवं सम्बन्ध) तथा संतान तुम्हें क़यामत (प्रलय) के दिन काम न आयेंगे[2] अल्लाह (तआला) तुम्हारे मध्य निर्णय कर देगा[3] तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह भली-भाँति देख रहा है ।

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

(४) (मुसलमानो !) तुम्हारे लिए (आदरणीय) इब्राहीम में तथा उनके साथियों में अति उत्तम नमूना है,[4] जबकि उन सबने अपने समुदाय से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ

---

[1]अर्थात तुम्हारे विरोध में उनके दिलों में तो इस प्रकार बैर है और तुम हो कि उनके साथ प्रेम की पींगें बढ़ा रहे हो ।

[2]अर्थात जिस संतान के लिए तुम काफ़िरों के साथ प्रेम दिखाते हो, यह तुम्हारे कुछ काम नहीं आयेगी, फिर उसके कारण तुम काफ़िरों से मित्रता करके क्यों अल्लाह को अप्रसन्न करते हो ? क़यामत के दिन जो चीज़ काम आयेगी वह तो अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञापालन है, इसका प्रबन्ध करो ।

[3]दूसरा अर्थ है तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा, अर्थात आज्ञाकारियों को स्वर्ग में तथा अवज्ञाकारियों को नरक में ले जायेगा । कुछ कहते हैं कि आपस में अलगाव का अभिप्राय है कि एक-दूसरे से भागेंगे, जैसे फ़रमाया :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾

"उस दिन आदमी भाई-भाई से भागेंगे ।" (सूर: *अबस*-३४)

[4]अर्थात काफ़िरों से मैत्री सम्बन्ध न रखने के विषय के स्पष्टीकरण में आदरणीय इब्राहीम का उदाहरण दिया जा रहा है । أُسْوَةٌ (उस्वा) का अर्थ है ऐसा 'आदर्श' जिसका अनुसरण किया जाये ।

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

तुमसे तथा जिन-जिनकी तुम अल्लाह के अतिरिक्त पूजा करते हो, उन सबसे पूर्णरूप से विमुख हैं ।[1] हम तुम्हारे (विश्वास को) अस्वीकार करते हैं, और जब तक तुम अल्लाह के एक होने पर ईमान न लाओ हममें तुममें हमेशा के लिए कपट एवं बैर उत्पन्न हो गया,[2] परन्तु इब्राहीम की इतनी बात तो अपने पिता से हुई थी कि[3] मैं तुम्हारे लिए क्षमा-याचना अवश्य करूँगा तथा तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के समक्ष कोई अधिकार भी नहीं । हे हमारे प्रभु ! तुझ पर ही हमने भरोसा किया है[4] तथा तेरी ही ओर हम आकर्षित

---

[1]अर्थात शिर्क के कारण से हमारा तथा तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं । अल्लाह के पुजारियों का अल्लाह के अन्य के उपासकों से क्या लगाव ?

[2]अर्थात यह बिलगाव तथा विमुखता उस समय तक रहेगी जब तक तुम कुफ़्र एवं शिर्क को त्याग कर तौहीद (अद्वैत) को न अपना लो । हाँ, जब तुम एक अल्लाह को मानने लगोगे तो फिर यह बैर प्रेम से बदल जायेगा तथा शत्रुता प्रेम भाव में ।

[3]यह एक अनुबन्ध है जो فِي إبراهيم में लुप्त सम्बन्ध से है । अभिप्राय यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा जीवन एक अनुसरण योग्य नमूना है । हाँ, उनका अपने पिता के लिए क्षमा की प्रार्थना एक ऐसा कर्म है जिसमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका यह कर्म उस समय का है जब उनको अपने पिता के विषय में ज्ञान नहीं था, परन्तु जब उन पर स्पष्ट हो गया कि वह (पिता) अल्लाह का शत्रु है तो उन्होंने अपने पिता से भी विमुखता व्यक्त कर दी, जैसाकि *सूर: बराअत* ११४ में है । (*सूर: बराअत, सूरह तौबा* को कहा जाता है)

[4]توكـــل (भरोसा) का अर्थ है, यथासंभव प्रत्यक्ष संसाधनों को अपनाने के पश्चात मामला अल्लाह को समर्पित कर दिया जाये । यह अर्थ नहीं कि संसाधनों को अपनाये बिना ही अल्लाह पर भरोसा दिखाया जाये । इससे हमको रोका गया है । एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा ऊँट को बाहर खड़ा करके भीतर आ गया । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो कहा कि मैं ऊँट अल्लाह को समर्पित करके आया हूँ । आपने फ़रमाया कि यह भरोसा नहीं । اعقِل و توكَّل "पहले

होते हैं तथा तेरी ही ओर फिर आना है ।

(५) हे हमारे प्रभु ! तू हमें काफ़िरों की परीक्षा में न डाल[1] तथा हे हमारे प्रभु ! हमारी त्रुटियों को क्षमा कर, नि:संदेह तू ही प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला है ।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥

(६) नि:संदेह तुम्हारे लिए उनमें[2] उत्तम आदर्श (तथा श्रेष्ठ अनुसरण है विशेषकर) प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह तथा क़यामत (प्रलय) के दिन की मुलाक़ात पर विश्वास रखता हो,[3] तथा यदि कोई विमुख हो जाये[4] तो अल्लाह (तआला) पूर्ण रूप से निस्पृह है तथा बड़ाई एवं प्रशंसा के योग्य है ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٦

(७) क्या आश्चर्य कि निकट ही अल्लाह (तआला) तुममें तथा तुम्हारे शत्रुओं में प्रेम उत्पन्न कर दे,[5] अल्लाह (तआला) को सभी

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ

उसे बाँध फिर अल्लाह पर भरोसा कर ।" (तिर्मिज़ी) إنابة (इनाब:) का अर्थ है अल्लाह की ओर ध्यान करना ।

[1]अर्थात काफ़िरों को हम पर प्रभुत्व तथा अधिपत्य प्रदान न कर, ऐसे वह सोचेंगे कि वह सत्य पर हैं तथा इस प्रकार हम उनके लिए परीक्षा बन जायेंगे । अथवा अभिप्राय यह है कि उनके हाथों या अपनी ओर से हमें कोई यातना न दें, ऐसे भी हमारा अस्तित्व उनके लिए परीक्षा बन जायेगा । वह कहेंगे कि यदि यह सत्य पर होते तो उनको यह दुख क्यों पहुँचता ?

[2]अर्थात इब्राहीम अलैहिस्सलाम तथा उनके ईमान वाले साथियों में । यह पुनरावृत्ति बल देने के लिये है ।

[3]क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह तथा आख़िरत की यातना से डरते हैं । यही लोग स्थितियों तथा घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं ।

[4]अर्थात आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आदर्श को अपनाने से भागे ।

[5]अर्थात उन्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारा भाई तथा साथी बना दे, जिससे तुम्हारे बीच की

وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

सामर्थ्य हैं तथा अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील अत्यन्त दयालु है।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

(८) जिन लोगों ने तुमसे धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया[1] तथा तुम्हें देश से नहीं निकाला,[2] उनके साथ उत्तम व्यवहार एवं उपकार करने तथा न्याय पूर्ण व्यवहार करने से अल्लाह (तआला) तुम्हें नहीं रोकता ।[3] (अपितु) नि:सन्देह अल्लाह (तआला) तो न्याय करने वालों से प्रेम करता है ।[4]

शत्रुता मैत्री तथा प्रेम में बदल जायेगी। तथा ऐसा ही हुआ, मक्का विजय के बाद लोग गिरोहों में मुसलमान होना आरम्भ हो गये तथा उनके मुसलमान होते ही घृणायें प्रेम में बदल गईं, जो मुसलमानों के रक्त के प्यासे थे वह हाथ पाँव बन गये।

[1]यह उन काफ़िरों के संबन्ध में निर्देश दिये जा रहे हैं, जो मुसलमानों से केवल इस्लाम धर्म के कारण रोष तथा शत्रुता नहीं रखते तथा इस आधार पर मुसलमानों से नहीं लड़ते, यह पहली शर्त है।

[2]अर्थात तुम्हारे साथ ऐसी नीति भी नहीं अपनाई कि तुम हिजरत (प्रवास) पर बाध्य हो जाओ । यह दूसरी शर्त है। एक तीसरी शर्त यह है जो अगली आयत से स्पष्ट होती है कि वे मुसलमानों के विरूद्ध दूसरे काफ़िरों को किसी प्रकार की सहायता न पहुँचायें, विचार-विमर्श से और न हथियारों आदि से।

[3]अर्थात ऐसे काफ़िरों से उपकार तथा न्याय का व्यवहार निषेध नहीं है जैसे आदरणीया अस्मा पुत्री अबू बक्र सिद्दीक़ ने अपनी मुशरिक़ माँ के संदर्भ में नाता जोड़ने अर्थात सदव्यवहार करने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया صِلِي أُمَّكِ "अपनी माँ के साथ उपकार करो ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ ज़कात, बाबु फ़ज़लिन नफ़क़ते वस् सदक़ते अलल अकरबीन तथा बुख़ारी, किताबुल अदब, बाबु सिलतिल वालेदिल मुशरिक़)

[4]इसमें न्याय करने का प्रलोभन (प्रोत्साहन) है यहाँ तक कि काफ़िरों के साथ भी। हदीस में न्याय करने वालों की प्रतिष्ठा इस प्रकार वर्णन की गई है।

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا».

"न्यायकारी प्रकाश के मंच पर होंगे जो रहमान (दयानिधि) के दायीं ओर होंगे, तथा रहमान के दोनों हाथ दायें हैं, जो अपने निर्णय में, अपने परिवाद में तथा

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑨

(९) अल्लाह (तआला) तुम्हें केवल उन लोगों से प्रेम करने से रोकता है, जिन्होंने तुमसे धर्म के विषय में युद्ध किया तथा तुम्हें देश से निकाला एवं देश से निष्कासित करने वालों की सहायता की, जो लोग ऐसे काफ़िरों से प्रेम करें[1] वही (निश्चित रूप से) अत्याचारी हैं ।[2]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ

(१०) हे ईमानवालो ! जब तुम्हारे पास मुसलमान महिलायें स्थानान्तरण करके आयें तो तुम उनकी परीक्षा ले लिया करो ।[3] वास्तव

अपनी प्रजा में न्याय का प्रबन्ध करते हैं ।" (सही मुस्लिम, किताबुल इमार:, बाबु फ़ज़ीलतिल इमामिल आदिल)

[1]अर्थात अल्लाह के निर्देश एवं प्रभु के आदेश से मुंह फेर कर ।

[2]क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से प्रेम किया है जो प्रेम के योग्य नहीं थे, तथा यूं उन्होंने अपने प्राणों पर अत्याचार किया कि उन्हें अल्लाह के प्रकोप के लिए प्रस्तुत कर दिया । दूसरे स्थान पर फ़रमाया :

﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"तुम यहूदी एवं इसाई को मित्र न बनाओ ये तो परस्पर ही एक-दूसरे के मित्र हैं । तुम में जो भी उनमें से किसी से मित्रता करे वह नि:सन्देह उन्ही में से है । अत्याचारियों को अल्लाह तआला कदापि सन्मार्ग नहीं दिखाता ।" (अल-मायेद:-५१)

[3]हुदैबिया संधि का एक खंड यह था कि मक्का से कोई मुसलमानों के पास चला जायेगा तो उसे वापस करना पड़ेगा, किन्तु उसमें स्त्री-पुरूष का स्पष्टीकरण नहीं था । प्रत्यक्ष रूप से أَحَدٌ (कोई) में दोनों सम्मिलित थे । कुछ महिलायें बाद में मक्का से प्रस्थान करके मदीने आ गयीं तो काफ़िरों ने उनकी वापसी की मांग की, जिस पर अल्लाह ने यह आयत मुसलमानों के निर्देशन के लिए उतारी तथा यह आदेश दिया । परीक्षा लेने का अभिप्राय है इस बात की खोज करो कि हिजरत करके जो महिलायें आई हैं तथा ईमान व्यक्त कर रही हैं, अपने काफ़िर पति से अप्रसन्न होकर अथवा किसी मुसलमान के प्रेम में अथवा कसी अन्य उद्देश्य से तो नहीं आई हैं तथा केवल यहां शरण लेने के लिए तो ईमान का दावा नहीं कर रही हैं ।

اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا
مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

में उनके ईमान को भली-भाँति जानने वाला तो अल्लाह ही है, परन्तु यदि वे तुम्हें ईमानवाली प्रतीत हों[1] तो अब तुम उन्हें काफ़िरों की ओर वापस न करो, यह उनके लिए हलाल (वैध) नहीं तथा न वे इनके लिए हलाल (वैध) हैं,[2] तथा जो ख़र्च उन काफिरों का हुआ हो वह उन्हें अदा कर दो,[3] उन महिलाओं को उनकी महर देकर उनसे विवाह कर लेने में तुम पर कोई पाप नहीं,[4] तथा काफिर महिलाओं के विवाह बन्धन को अपने अधीन में न रखो[5] तथा जो कुछ तुमने

---

[1]अर्थात तुम अपनी खोज से इस परिणाम तक पहुँचो तथा तुम्हें अनुमान हो जाये कि यह वास्तव में ईमान रखती हैं।

[2]यह उन्हें उनके काफिर पतियों के पास वापस न भेजने का कारण है कि अब कोई मुसलमान महिला किसी काफ़िर के लिए वैध नहीं, जैसाकि इस्लाम के आरम्भ में यह वैध न था, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री आदरणीय ज़ैनब का विवाह अबुल आस बिन रबीअ के साथ हुआ था, जबकि वह मुसलमान नहीं थे। किन्तु इस आयत ने भविष्य में ऐसा करने से रोक दिया। इसलिए यहाँ कहा गया कि एक-दूसरे के लिए वैध नहीं, इसलिए उन्हें काफ़िरों को वापस न करो। हाँ, यदि पति भी मुसलमान हो जाये तो विवाह यथावत रह जायेगा, चाहे पति हिजरत करके पत्नी के बाद आये।

[3]अर्थात उनके काफ़िर पतियों ने जो महर (स्त्रीधन) उन्हें दिया है वह तुम उनको दे दो।

[4]यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह महिलायें जो ईमान के लिए अपने पतियों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम उनसे विवाह कर सकते हो, प्रतिबंध यह है कि उनकी महर उन्हें दे दो, किन्तु यह विवाह सुन्नत के अनुसार ही होगा, अर्थात एक तो इद्दत पूरी हो जाने (गर्भाशय की स्वच्छता) के बाद होगा, दूसरे उसमें वली (संरक्षक) की अनुमति तथा दो न्यायी गवाहों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। हाँ, यदि स्त्री से पति ने सहवास नहीं किया है तो फिर बिना अवधि तुरन्त विवाह भी वैध है।

[5]عِصَمٌ (एसम) عِصْمَةٌ (इस्मत) का बहुवचन है। यहाँ इससे अभिप्राय विवाह बंधन है। अर्थ यह है कि यदि पति मुसलमान हो जाये तथा पत्नी यथावत काफ़िर एवं मुशरिक रहे तो

ख़र्च किया हो[1] माँग लो, तथा जो कुछ उन काफ़िरों ने ख़र्च किया हो, वह भी मागँ लें,[2] यह अल्लाह का निर्णय है जो तुम्हारे मध्य कर रहा है,[3] और अल्लाह (तआला) सर्वज्ञ (एवं) हिक्मत वाला है।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ

(११) तथा यदि तुम्हारी कोई पत्नी तुम्हारे हाथ से निकल जाये तथा काफ़िरों के पास चली जाये, फिर तुम्हें बदले का समय मिल जाये[4] तो जिनकी पत्नियाँ चली गयी हैं उन्हें

पत्नी को अपने विवाह में रखना वैध नहीं है। उसे तुरन्त तलाक़ देकर अपने से अलग कर दिया जाये। तथा इस आदेश के पश्चात आदरणीय उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने अपनी दो मुशरिक पत्नियों को तथा आदरणीय तलहा पुत्र उबैदुल्लाह ने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया। (इब्ने कसीर) हाँ, यदि पत्नी किताबिया (यहूदी और ईसाई) हो तो उसे तलाक़ देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनसे विवाह उचित (वैध) है। इसलिए यदि वह पहले ही से पत्नी के रूप में तुम्हारे पास है तो इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसे अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

[1]अर्थात उन महिलाओं पर जो कुफ़्र पर स्थिर रहने के कारण काफ़िरों के पास चली गई हैं।

[2]अर्थात उन महिलाओं पर जो मुसलमान होकर हिजरत करके मदीने आ गयी हैं।

[3]अर्थात यह उपरोक्त आदेश कि दोनों एक-दूसरे की महर का धन अदा करें बल्कि माँग कर लें, अल्लाह का आदेश है। इमाम कुर्तुबी फ़रमाते हैं कि यह आदेश उस युग के साथ ही विशेष था। इस पर मुसलमानों का इज्माअ (सहमति) है। (फ़तहुल क़दीर) इसका कारण वह समझौता है जो दोनों पक्षों के बीच हुआ था। इस प्रकार का समझौता होने की दशा में भविष्य में भी तदानुसार काम करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नहीं।

[4]فَعَاقَبْتُمْ (तो तुम यातना दो अथवा बदला दो) का एक भावार्थ यह है कि मुसलमान होकर आने वाली महिलाओं के महर का अधिकार, जो तुम्हें उनके काफ़िर पतियों को अदा करने थे, वह तुम उन मुसलमानों को दे दो जिनकी पत्नियाँ काफ़िर होने के कारण काफ़िरों के पास चली गयी हैं तथा उन्होंने मुसलमानों को महर अदा नहीं किया। (अर्थात यह भी दण्ड का एक रूप है) दूसरा भावार्थ यह है कि तुम काफ़िरों से जिहाद करो तथा ग़नीमत (परिहार) का माल प्राप्त हो उसमें विभाजन से पहले उन मुसलमानों

مَآ اَنۡفَقُوۡا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡۤ اَنۡتُمۡ بِهٖ مُؤۡمِنُوۡنَ ⑪

उनके ख़र्च के समान अदा कर दो, तथा उस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الۡمُؤۡمِنٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلٰٓى اَنۡ لَّا يُشۡرِكۡنَ بِاللّٰهِ شَيۡـًٔـا وَّلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِيۡنَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ اَوۡلَادَهُنَّ وَلَا يَاۡتِيۡنَ بِبُهۡتَانٍ يَّفۡتَرِيۡنَهٗ بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِنَّ وَاَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِيۡنَكَ فِىۡ مَعۡرُوۡفٍ فَبَايِعۡهُنَّ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ

(१२) हे रसूल (संदेष्टा) ! जब मुसलमान महिलायें आप से इन बातों पर वचन देने आयें कि वह अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं बनायेंगी, चोरी न करेंगी, व्यभिचार न करेंगी, अपनी सन्तान को न मार डालेंगी तथा न कोई ऐसा आक्षेप लगायेंगी जो स्वयं अपने हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें तथा किसी पुण्य कार्य में तेरी अवज्ञा न करेंगी, तो आप उनसे वचन ले लिया करें[1]

को दो, जिनकी पत्नियाँ काफ़िर देश (दारुल कुफ्र) में चली गयी हैं उनके ख़र्च की मात्रा में अदा कर दो। मानो ग़नीमत के माल से मुसलमानों की क्षतिपूर्ति भी दण्ड है। (ऐसरूत्तफ़ासीर तथा इब्ने कसीर) यदि ग़नीमत के माल से भी क्षतिपूर्ति न हो तो बैतुल माल से सहायता की जाये।

[1]यह बैअत (प्रतिज्ञा) उसी समय लेते जब महिलायें हिजरत करके आतीं, जैसाकि सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरह मुम्तहिना में है। इसके अलावा मक्का विजय के दिन भी अपने कुरैश की महिलाओं से बैअत ली बैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मौखिक वचन लेते। किसी महिला के हाथ को स्पर्श नहीं करते। आदरणीया आयशा फ़रमाती हैं कि अल्लाह की सौगन्ध, बैअत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी महिला का हाथ नहीं छुआ। बैअत लेते समय केवल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख से यह फ़रमाते कि मैंने इन बातों पर तुझ से वचन ले लिया। (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरह मुम्तहिना*) बैअत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिलाओं स यह वचन भी लेते कि वह विलाप नहीं करेंगी, कपड़े फाड़कर नहीं रोयेंगी, सिर के बाल नहीं नोचेंगी, अज्ञानकाल की भाँति शोकालाप नहीं करेंगी। (सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम आदि) इस बैअत में नमाज़, रोज़ा (व्रत), हज, ज़कात (अनिवार्य दान) आदि की चर्चा नहीं है, क्योंकि यह धर्म के स्तम्भ तथा इस्लाम के प्रतीक हैं। इसलिए इनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। आपने विशेष रूप से उन बातों की प्रतिज्ञा महिलाओं से ली जो साधारणतः महिलाओं में पाई जाती हैं, ताकि वह धार्मिक कर्तव्यों के पालन के साथ इन चीज़ों से भी बचें। इस से यह भी विदित हुआ कि विद्वानों,

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

तथा उनके लिए अल्लाह से क्षमा माँगे, नि:संदेह अल्लाह (तआला) क्षमाशील दयालु है।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

(१३) हे मुसलमानो ! तुम उस समुदाय से मित्रता न रखो, जिन पर अल्लाह का प्रकोप आ चुका है[1] जो आख़िरत से इस प्रकार निराश हो चुके हैं जैसेकि मृत क़ब्र वालों से काफ़िर निराश हैं।[2]

سُورَةُ الصَّفِّ

सूरतुस-सफ़्फ़:-६१

सूर: सफ़्फ़* मदीने में अवतरित हुई, इसमें चौदह आयतें एवं दो रूकुऊ हैं।

उपदेशकों तथा भाषण कर्ताओं को अपना पूरा बल धार्मिक कर्तव्यों पर ही नहीं लगाना चाहिए जो पहले ही से स्पष्ट हैं, अपितु उन रिवाजों तथा परम्पराओं का भी प्रभावशाली ढंग से खण्डन करना चाहिए जो समाज में साधारणत: प्रचलित हैं तथा नमाज़, रोज़ा के पाबंद लोग भी इनसे नहीं बचते।

[1]इससे कुछ ने यहूद, कुछ ने अवसरवादी (मुनाफ़िक़) तथा कुछ ने काफ़िर तात्पर्य लिया है। यह अंतिम बात ही अधिक सही है, क्योंकि इसमें यहूद तथा द्वयवादी भी आ जाते हैं। इसके सिवा सभी काफ़िर ही अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी हैं। अत: अभिप्राय यह होगा कि किसी भी काफ़िर से मैत्री सम्बन्ध न रखो, जैसाकि यह विषय क़ुरआन के अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है।

[2]आख़िरत से निराश होने का अर्थ क़यामत की स्थापना से इंकार है। أصحابُ القبور (क़ब्रों में गड़े लोगों) से निराश होने का अभिप्राय यही है कि परलोक में पुन: जीवित नहीं किये जायेंगे। एक दूसरा अर्थ इसका यह किया गया है कि क़ब्रों (समाधियों) में गड़े काफ़िर प्रत्येक भलाई से निराश हो गये, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ़्र का परिणाम देख लिया। अब वह भलाई की क्या आशा कर सकते हैं। (इब्ने जरीर तबरी)

*इस सूर: के अवतरण के कारण में आता है कि कुछ सहाबा (नबी के सहचर) आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह को जो कर्म सर्वाधिक प्रिय हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने चाहिए ताकि तदानुसार कर्म किया जाये, किन्तु आपके पास जाकर पूछने का साहस कोई नहीं कर रहा था। इस पर अल्लाह ने यह सूरह उतारी। (मुसनद अहमद ५\४५२, तिर्मिज़ी तफ़सीर सुरतिस्सफ़्फ़)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

(१) आकाशों एवं धरती की प्रत्येक वस्तु अल्लाह (तआला) की पवित्रता का वर्णन करती है तथा वही प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला है।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ②

(२) हे ईमानवालो ![1] तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं ?

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ③

(३) तुम जो करते नहीं, उसका कहना अल्लाह (तआला) को अत्यन्त अप्रिय है।[2]

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ④

(४) निःसंदेह अल्लाह (तआला) उन लोगों को प्रिय रखता है जो उसके मार्ग में पंक्तिबद्ध होकर जिहाद करते हैं, जैसेकि वे सीसा पिलाया हुआ भवन हैं।[3]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا

(५) तथा (याद करो) जब मूसा ने अपने समुदाय से कहा कि हे मेरे समुदाय के लोगो ! तुम मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हो जबकि तुम्हें भली-भांति ज्ञात है कि मैं तुम्हारी ओर

---

[1]यहाँ पुकार यद्यपि सामान्य है किन्तु वास्तव में संबोधन उन मुसलमानों से है जो कह रहे थे कि हमें أَحَبُّ الأَعْمَال (सर्वाधिक प्रिय कर्म) का ज्ञान हो जाये तो उन्हें करें, किन्तु जब उन्हें कुछ प्रिय कर्म बताये गये तो वह शिथिल हो गये। इसमें ऐसे लोगों को फटकारा जा रहा है कि भलाई की बातें जो कहते हो करते क्यों नहीं हो ? जो बात मुख से निकालते हो उसे पूरी क्यों नहीं करते ? जो मुख से बोलते हो उसका पालन क्यों नहीं करते ?

[2]यह इसी पर अधिक बल दिया गया है कि अल्लाह ऐसे लोगों पर अत्याधिक अप्रसन्न होता है।

[3]यह जिहाद का एक अत्यन्त पुण्य कार्य बतलाया गया जो अल्लाह को प्रियकर है।

أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

अल्लाह का संदेष्टा हूँ,[1] तो जब वे लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया,[2] तथा अल्लाह (तआला) अवज्ञाकारी समुदाय को मार्गदर्शन नहीं देता।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي

(६) तथा जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा कि हे (मेरे समुदाय) इस्राईल की संतान ! मैं तुम सब की ओर अल्लाह का संदेष्टा हूँ, मुझसे पूर्व की पुस्तक तौरात की पुष्टि करने वाला हूँ[3] तथा अपने पश्चात आने वाले एक

---

[1]यह जानते हुए भी कि आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस्राईल की संतान उन्हें अपने मुख (बात) से कष्ट देती थी, यहाँ तक कि कुछ शारीरिक दोष उनसे संबन्धित करती थी जबकि वह रोग उनमें नहीं था।

[2]अर्थात ज्ञान होते हुए सत्य से मुँह फेरा तथा सत्य की तुलना में असत्य को, भलाई की तुलना में बुराई को तथा ईमान की तुलना में कुफ़्र को अपनाया, तो अल्लाह ने उसके दण्डस्वरूप उनके दिलों को स्थायी रूप से संमार्ग से फेर दिया, क्योंकि यही अल्लाह की रीति चली आ रही है। कुफ़्र तथा कुमार्ग पर नियमितता एवं निरन्तरता ही दिलों पर मुहर लगने का कारण होती है। फिर अवज्ञा, कुफ़्र तथा अत्याचार उसका स्वभाव एवं आचरण बन जाता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आगे फ़रमाया : "अल्लाह अवज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। क्योंकि अल्लाह तआला ऐसे लोगों को अपने नियमानुसार गुमराह कर चुका होता है। अब कौन उसे सत्य मार्ग दिखा सकता है जिसे इस प्रकार अल्लाह ने गुमराह किया हो ?"

[3]ईशदूत ईसा अलैहिस्सलाम की कथा का वर्णन इसलिए किया कि इस्राईल की संतान ने जैसे ईशदूत मूसा अलैहिस्सलाम की अवहेलना की, वैसे ही उन्होंने आदरणीय ईसा का भी इंकार किया। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दी जा रही है कि यह यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपितु इनका तो पूरा इतिहास ही ईशदूतों को झुठलाने से पूर्ण है। तौरात की पुष्टि का अभिप्राय यह है कि मैं जो निमन्त्रण दे रहा हूँ वह वही है जो तौरात का भी निमंत्रण है, जो इस बात का प्रमाण है कि जो पैग़म्बर मुझसे पहले तौरात लेकर आये और अब मैं इंजील (ग्रन्थ) लेकर आया हूँ हम दोनों का मूल उद्‌गम एक ही है। इसलिए तुम जिस प्रकार मूसा, हारून, दाऊद एवं सुलैमान पर ईमान लाये मुझ पर भी ईमान लाओ, इसलिए कि मैं तौरात (ग्रन्थ) की पुष्टि कर रहा हूँ, न कि उसका खंडन।

مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ۝٦

संदेष्टा की शुभसूचना सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है ।[1] फिर जब वह उनके समक्ष स्पष्ट निशानियाँ लाये तो वे कहने लगे कि यह तो खुला जादू है ।[2]

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُوَ يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٧

(७) तथा उस व्यक्ति से अधिक अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह (तआला) पर झूठ गढ़े ?[3] जबकि वह इस्लाम की ओर बुलाया जाता है ।[4] तथा अल्लाह ऐसे अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता ।

---

[1]यह आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पश्चात आने वाले अंतिम ईशदूत आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुभ सूचना सुनाई । जैसेकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

«أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى - عليه السلام - »

"मैं अपने पिता इब्राहीम की प्रार्थना तथा ईसा की शुभसूचना का चरितार्थ हूँ ।" (ऐसरूत्तफ़ासीर)

'अहमद' यह कर्ता से यदि अतिशयोक्ति का रूप हो तो अर्थ होगा अन्य दूसरे लोगों से अल्लाह की अधिक प्रशंसा करने वाला, तथा यदि कर्म कारक से हो तो अर्थ होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुणों तथा निपुणताओं के कारण जितनी प्रशंसा आपकी की गई, इतनी किसी की भी नहीं की गई । (फ़तहुल क़दीर)

[2]अर्थात आदरणीय ईसा के प्रस्तुत किये चमत्कारों को जादू कहा, जैसे विगत जातियाँ भी अपने पैग़म्बरों को इसी प्रकार कहती रहीं । कुछ ने इससे तात्पर्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है तथा قَالُوا का कर्ता मक्का के काफ़िरों को वनाया है ।

[3]अर्थात अल्लाह की संतान बनाये अथवा जो पशु उसने निषेध (हराम) नहीं किये उन्हें निषेध (हराम) किये ।

[4]जो सभी धर्मों में उत्तम तथा उच्चतम है, अत: जो ऐसा हो उसे कब यह शोभा देता है कि वह किसी अन्य पर मिथ्यारोपण करे कहाँ कि अल्लाह पर आरोप लगाये ?

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧

(८) वे चाहते हैं कि अल्लाह की दिव्य ज्योति को अपनी फूँक से बुझा दें,[1] तथा अल्लाह अपनी दिव्य ज्योति को उच्च पदों तक ले जाने वाला है,[2] चाहे काफ़िर बुरा मानें ।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑨

(९) वही है जिसने अपने रसूल (संदेष्टा) को मार्गदर्शन तथा सत्य धर्म प्रदान करके भेजा ताकि उसे अन्य सभी धर्मों पर प्रभावशाली कर दे,[3] चाहे मूर्तिपूजक अप्रसन्न हों ।[4]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑩

(१०) हे ईमानवालो ! क्या मैं तुम्हें वह व्यापार बताऊँ[5] जो तुम्हें कष्टदायी यातना से बचा ले ?

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(११) अल्लाह (तआला) पर तथा उसके संदेष्टा पर ईमान लाओ तथा अल्लाह के मार्ग में

---

[1]प्रकाश (ज्योति) से अभिप्राय पवित्र क़ुरआन, इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्क तथा प्रमाण हैं । 'मुँह से बुझा दें का अर्थ वह व्यंग तथा कटाक्ष हैं जो उनके मुखों से निकलते थे ।

[2]अर्थात उसे विश्व में प्रसारित करने वाला तथा अन्य धर्मों पर प्रभुत्व प्रदान करने वाला है । तर्कों के आधार पर अथवा भौतिक प्रभुत्व के आधार पर अथवा दोनों प्रकार से ।

[3]यह उपरोक्त बात ही पर बल दिया गया है । उसके महत्व के कारण उसे फिर दुहराया गया है ।

[4]फिर भी यह निश्चय होकर रहेगा ।

[5]इस कर्म (अर्थात ईमान तथा जिहाद) को व्यापार से व्यंजित किया । इसलिए कि इसमें भी इन्हें व्यापार की भाँति लाभ होगा, तथा वह लाभ क्या है ? स्वर्ग में प्रवेश तथा नरक से मुक्ति । इससे बड़ा लाभ और क्या होगा ? इस बात को दूसरे स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया है ।

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾

"अल्लाह ने मोमिनों से उनके प्राणों तथा मालों का सौदा स्वर्ग के बदले में कर लिया है ।" (अत्तौबा-१११)

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

अपने तन-मन-धन से धर्मयुद्ध करो, यह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है यदि तुममें ज्ञान हो।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

(१२) (अल्लाह तआला) तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा तथा तुम्हें उन स्वर्गों में पहुँचायेगा जिनके नीचे सरितायें प्रवाहित होंगी तथा (शुद्ध) स्वच्छ घरों में जो "अदन" के स्वर्ग में होंगे, यह बहुत बड़ी सफलता है।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

(१३) तथा तुम्हें एक अन्य (उपहार) भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वह अल्लाह की सहायता तथा शीघ्र विजय है,[1] और ईमानवालों को शुभ-सूचना दे दो।[2]

---

[1]अर्थात जब तुम उसके मार्ग में लड़ोगे तथा उसके धर्म की सहायता करोगे तो वह भी तुम्हें विजय तथा सहायता प्रदान करेगा।

﴿إِن تَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"अगर तुम अल्लाह (के धर्म) की सहायता करोगे तो वह तुम्हारी सहायता करेगा तथा तुम्हें अटल रखेगा।" (*सूरह मोहम्मद-७*)

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ﴾ .

"जो अल्लाह की सहायता करेगा अल्लाह भी अवश्य उसकी सहायता करेगा। नि:संदेह अल्लाह तआला बड़ा शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है।" (*अल-हज्ज-४०*)

आख़िरत (परलोक) के वरदानों की तुलना में उसे समीप की विजय कहा। तथा इससे अभिप्राय मक्का की विजय है, तथा कुछ ने ईरान तथा रोम के महान राज्यों पर मुसलमानों के प्रभुत्व को इसका चरितार्थ माना है, जो ख़िलाफ़ते राशिदा (ख़लीफ़ा काल) में मुसलमानों को प्राप्त हुआ।

[2]स्वर्ग की भी मरने के पश्चात तथा विजय एवं सहायता की भी संसार में। प्रतिबंध यह है कि ईमान वाले ईमान की अभियाचना पूरी करते रहें।

﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

'तथा तुम लोग ही प्रभावशाली रहोगे यदि तुम ईमान वाले रहे।" (*आले इमरान-१३९*)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

(१४) हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह (तआला) की सहायता करने वाले बन जाओ,[1] जिस प्रकार (आदरणीया) मरियम के पुत्र (आदरणीय) ईसा ने हवारियों (मित्रों) से कहा कि कौन है जो अल्लाह के मार्ग में मेरा सहयोगी बने। (उनके) मित्रों ने कहा कि हम अल्लाह के मार्ग में सहायक हैं,[2] तो इस्राईल की संतान में से एक गुट तो ईमान लाया तथा एक गुट ने कुफ़्र किया[3] तो हमने ईमानवालों की उनके

---

[1]सभी स्थितियों में अपने वचनों तथा कर्मों के द्वारा भी तथा धन एवं प्राण के द्वारा भी। जब भी, जिस समय भी तथा जिस स्थिति में भी अल्लाह तथा उसका रसूल अपने धर्म की सहायता के लिए पुकारे तुम तुरन्त उनकी पुकार पर कहो कि हम उपस्थित हैं, जैसे हवारियों ने ईसा की पुकार पर कहा।

[2]अर्थात हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस धर्म के आमन्त्रण तथा प्रचार में सहायक हैं, जिसके प्रचार-प्रसार का आदेश अल्लाह ने आपको दिया है। इसी प्रकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में फ़रमाते कि "कौन है जो मुझे शरण दे ताकि मैं लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुँचा सकूँ। इसलिए कि कुरैश मुझे संदेश पहुँचाने का दायित्व पूरा करने नहीं देते" यहाँ तक कि मदीने के औस तथा ख़ज़रज क़बीलों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार सुन ली। आपके हाथ पर उन्होंने बैअत की तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहायता का वचन दिया। आप से यह भी कहा कि यदि आप हिजरत (स्थानान्तरण) करके मदीना आ जायें तो हम आप की रक्षा का दायित्व स्वीकार करते हैं। अतः जब आप हिजरत करके मदीना गये तो वचनानुसार उन्होंने आपकी तथा आप के साथियों की भरपूर सहायता की, यहाँ तक कि अल्लाह तथा उसके रसूल ने उनका नाम ही "अंसार" (सहायक) रख दिया, तथा अब यह उनका विशेष नाम हो गया है। رضي الله عنهم و أرضاهم (इब्ने कसीर)

[3]यह यहूदी थे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की नबूअत (दूतत्व) का इंकार ही नहीं किया अपितु उन पर तथा उनकी माँ पर लांक्षन (आक्षेप) भी लगाया। कुछ कहते हैं कि यह मतभेद तथा बिखराव उस समय हुआ जब आदरणीय ईसा को आसमान पर उठा लिया गया। एक ने कहा कि ईसा के रूप में अल्लाह (प्रभु) ही धरती पर प्रकट हुआ था (जैसे सनातन धर्म में ईशदूतों को अवतार मानते हैं) अब वह फिर आकाश पर चला गया। यह सम्प्रदाय "याक़ूबिया" कहलाता है। नस्तूरिया सम्प्रदाय ने कहा कि वह अल्लाह के पुत्र थे, पिता ने पुत्र को आकाश पर बुला लिया। तीसरे ने कहा कि वह अल्लाह के भक्त

शत्रुओं की तुलना में सहायता की, तो वे विजयी हो गये ।[1]

सूरतुल-जुमुअः-६२

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

सूरः जुमअः* मदीने में अवतरित हुई, इसमें ग्यारह आयतें तथा दो रूकूअ हैं ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है ।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

(१) आकाशों एवं धरती की सभी वस्तु अल्लाह (तआला) की पवित्रता का वर्णन करती हैं, जो अधिपति अत्यन्त पवित्र (है) प्रभावशाली (एवं) हिक्मत वाला है ।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

(२) वही है जिसने अशिक्षित लोगों में[2] उन ही में से एक संदेष्टा भेजा, जो उन्हें उसकी आयतें

तथा उसके संदेष्टा थे । यही सम्प्रदाय सही था ।

[1]अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर हमने इसी अन्तिम गिरोह की अन्य अनृत गिरोहों के मुक़ाबले में सहायता की । यही सही आस्था वाला समूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया तथा हमने यूँ उनको प्रमाणों के आधार पर भी सब काफ़िरों पर प्रभुत्व प्रदान किया तथा शक्ति एवं राज्य के आधार पर भी । इस प्रभुत्व का अन्तिम प्रकटन फिर उस समय होगा जब प्रलय के निकट आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम फिर उतरेंगे, जैसाकि इस प्रभुत्व एवं अवतरण का स्पष्टीकरण सहीह हदीसों में निरन्तरता के साथ उद्धृत है ।

*नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमअः की नमाज़ में सूरः जुमअः तथा मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे । (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुअः, बाबु मा युकरउ फ़ी सलातिल जुमुअः) फिर भी इन का जुमअः की रात को एशा की नमाज़ में पढ़ना सहीह रिवायत से सिद्ध नहीं । हाँ, एक क्षीण रिवायत में ऐसा आता है । (लिसानुल मीज़ान ले इब्ने हजर तर्जुमा सईद बिन सम्माक बि हरब)

[2]أُمِّيِّين (उम्मीईन) से अभिप्राय अरबवासी हैं । जिनका बहुसंख्यक अनपढ़ था, उनकी विशेष चर्चा का यह अर्थ नहीं कि आप की रिसालत (संदेश) दूसरों के लिए नहीं थी, क्योंकि प्रथम संबोधित वही थे, अतः अल्लाह का उन पर अधिक अनुग्रह था ।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢

पढ़कर सुनाता है तथा उनको शुद्ध करता है और उन्हें किताब एवं ज्ञान सिखाता है। निःसंदेह ये उससे पूर्व स्पष्ट भटकावे में थे।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣

(३) तथा अन्यों के लिए भी उन्हीं में से जो अब तक उनसे नहीं मिले,[1] तथा वही प्रभावशाली (एवं) हिक्मत वाला है।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤

(४) यह अल्लाह की कृपा है[2] जिसे चाहे अपनी कृपा प्रदान करे तथा अल्लाह (तआला) अत्यन्त कृपालु है।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

(५) जिन लोगों को तौरात के (अनुसार) कार्य करने का आदेश दिया गया फिर उन्होंने उस पर कार्य नहीं किया, उनका उदाहरण उस गधे जैसा है जो बहुत सी किताब लादे हो।[3]

---

[1]यह उम्मीईन का संयोजक है अर्थात بَعَثَ فِي آخَرِينَ مِنْهُمْ में यह दूसरे से ईरानी तथा अरब के अलावा अन्य देशों के लोग हैं जो प्रलय तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लायेंगे। इसलिए इसमें ईरानी, रोमी, बरबर, सुडानी, तुर्क, मंगोल, चीनी तथा भारतीय आदि सब आ जाते हैं। अर्थात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के नबी (संदेष्टा) हैं तथा सभी आप पर ईमान लाये और इस्लाम लाने के पश्चात यह भी مِنْهُمْ का चरितार्थ अर्थात प्रथम इस्लाम लाने वाले उम्मीयों में हो गये, क्योंकि समस्त मुसलमान उम्मते वाहिदा (एक समूह) हैं। इसी सर्वनाम के कारण कुछ कहते हैं कि आख़रीन (अन्यों) से अभिप्राय बाद में होने वाले अरबवासी हैं, क्योंकि مِنْهُمْ में सर्वनाम उम्मीईन की ओर फिर रहा है। (फ़तहुल क़दीर)

[2]यह संकेत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुअत (ईशदूत होने) की ओर भी हो सकता है तथा उस पर ईमान लाने वालों की ओर भी।

[3]أَسْفَار (अस्फ़ार) سِفْر (सिफ़र) का बहुवचन है। अर्थ है महाग्रंथ। किताब जब पढ़ी जाती है तो इंसान उसके अर्थों में यात्रा करता है। अतः किताब को भी सफ़र (यात्रा) कहा जाता है। (फ़तहुल क़दीर) यह निष्कर्म यहूदियों का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार गधे को ज्ञान नहीं होता कि उसके ऊपर जो पुस्तकें लदी हुई हैं उनमें क्या लिखा है? या उस पर पुस्तकें लदी हैं अथवा कूड़ा-करकट। इसी प्रकार यह यहूदी हैं। यह तौरात तो लिये फिरते हैं, उसे पढ़ने तथा याद करने की बातें भी करते हैं, लेकिन उसे

كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑤

अल्लाह की बातों को झुठलाने वालों का बहुत बुरा उदाहरण है। तथा अल्लाह ऐसे अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑥

(६) कह दीजिए कि ऐ यहूदियो! यदि तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के मित्र हो अन्य लोगों के अतिरिक्त,[1] तो तुम मृत्यु की कामना करो[2] यदि तुम सच्चे हो।[3]

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ⑦

(७) यह मृत्यु की कामना कदापि नहीं करेंगे उन कर्मों के कारण जो अपने हाथों अपने पूर्व भेज रखे हैं।[4] तथा अल्लाह (तआला)

समझते हैं न उसके आदेशानुसार कर्म करते हैं, अपितु उसमें फेर-बदल तथा कष्ट कल्पना से काम लेते हैं। इसीलिए वास्तव में यह गधे से भी बुरे हैं, क्योंकि गधा तो पैदाइश से ही समझ-बूझ से खाली होता है, जबकि उनके भीतर समझ-बूझ तो है परन्तु वह उचित रूप से उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए अन्य स्थान पर फ़रमाया :

﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾

"यह चौपाये के समान हैं वरन् उनसे भी अधिक विपथ।" (*अल-आराफ़-१७९*)

यही मिसाल उन मुसलमानों की विशेष रूप से विद्वानों की है जो क़ुरआन पढ़ते तथा याद करते हैं तथा उसके अर्थ एवं भावार्थ को समझते हैं, किन्तु उसकी अभियाचना (माँग) पूरी नहीं करते।

[1]जैसे वह कहा करते थे, "हम अल्लाह के पुत्र एवं उसके चहीते हैं" (*अल-मायेद:-१८*) तथा दावा करते थे, "स्वर्ग में केवल वही जायेगा जो यहूदी व इसाई होगा।" (*अल-बक़र:-१११*)

[2]ताकि तुम्हें वह मान-मर्यादा प्राप्त हो जो तुम्हारी कल्पनानुसार तुम्हें प्राप्त होना चाहिए।

[3]क्योंकि जिसे ज्ञान हो कि मरने के पश्चात उसके लिए स्वर्ग है, वह तो वहाँ शीघ्र पहुँचने का इच्छुक होता है। हाफ़िज इब्ने कसीर ने इसकी व्याख्या "दावते मुबाहला" से की है। अर्थात इसमें उनसे कहा गया है कि यदि तुम मोहम्मद के ईशदूत (नबी) होने का इंकार करते हो तथा अल्लाह के प्रिय एवं मित्र होने के अपने दावे में सच्चे हो तो मुसलमानों के साथ मिल कर अल्लाह से प्रार्थना कर लो कि जो हम में झूठा हो उस पर अल्लाह की धिक्कार हो अथवा जो हम दोनों में झूठा हो अल्लाह उसे मौत दे दे। (देखिये *सूरह बक़र:-९४ की व्याख्या*)

[4]अर्थात कुफ़्र एवं अवज्ञा तथा अल्लाह की किताब में जो हेर-फेर तथा परिवर्तन ये करते

अत्याचारियों को भली-भाँति जानता है।

(८) कह दीजिए कि जिस मृत्यु से तुम भाग रहे हो वह तो तुम तक अवश्य पहुँचेगी, फिर तुम सब गुप्त तथा स्पष्ट बातों के जानने वाले (अल्लाह) की ओर लौटाये जाओगे तथा फिर वह तुम्हें तुम्हारे किये हुए समस्त कर्मों को बता देगा।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

(९) हे वह लोगो जो ईमान लाये हो ! जुमुअ: के दिन (शुक्रवार को) नमाज़ की अज़ान दी जाये तो तुम अल्लाह की याद की ओर शीघ्र आ जाया करो तथा क्रय-विक्रय छोड़ दो।[1] यह तुम्हारे पक्ष में अति उत्तम है यदि तुम जानते हो।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

रहे हैं, उनके कारण कभी भी यह मौत की कामना नहीं करेंगे।

[1]यह "अज़ान" कैसे दी जाये तथा इसके शब्द क्या हों ? यह क़ुरआन में कहीं नहीं है। हाँ, हदीस में है, जिससे ज्ञात हुआ कि क़ुरआन बिना हदीस के समझना संभव है न उस पर कार्यरत होना ही। जुमअ: को जुमअ: इसलिए कहते हैं कि उस दिन अल्लाह प्रत्येक सृष्टि को पैदा करके सृजन कार्य से सावकाश हो गया था। ऐसे मानो उस दिन पूरी सृष्टि एकत्र हो गई, अथवा नमाज़ के लिये लोग एकत्र होते हैं। इसी आधार पर कहते हैं। (फ़तहुल क़दीर) فَاسْعَوْا का अर्थ यह नहीं कि दौड़कर आओ, अपितु यह है कि आज़ान के बाद तुरन्त आ जाओ तथा कारोबार बंद कर दो, क्योंकि नमाज के लिए दौड़कर आना निषेध है। शान्ति तथा मर्यादा के साथ आने पर बल दिया गया है। (सहीह बुख़ारी, कितावुल अज़ान तथा मुस्लिम, किताबुल मसाजिद) अज़ान से दूसरी अज़ान तात्पर्य है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में केवल एक ही अज़ान होती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्बर पर आते थे। (फ़तहुल क़दीर) इसलिए एक अज़ान पर ही बस करना उत्तम है। कुछ लोगों ने ذروا البيع (क्रय-विक्रय छोड़ दो) से यह तर्क निकाला है कि जुमुअ: मात्र नगरों में फ़र्ज़ (अनिवार्य) है, देहातियों पर जुमअ: नहीं, क्योंकि व्यापार तथा क्रय-विक्रय नगरों ही में होता है, देहातों में नहीं। जबकि संसार का कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ क्रय-विक्रय न होता हो। अत: यह दावा ही तथ्य के प्रतिकूल है। दूसरे, क्रय-विक्रय तथा व्यापार का अर्थ सांसारिक कारोबार हैं, वह जैसे भी हों, जिस प्रकार के भी हों। अज़ान के पश्चात उन्हें छोड़ दिया जाये। क्या देहातियों के सांसारिक कार्य नहीं होते ? क्या खेती-बाड़ी, व्यवसाय तथा सांसारिक कार्यों से भिन्न चीज़ है ?

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

(१०) फिर जब नमाज हो जाये तो धरती पर फैल जाओ तथा अल्लाह की कृपा को खोजो,[1] तथा अल्लाह का अत्याधिक वर्णन करो ताकि तुम सफलता प्राप्त कर लो।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

(११) तथा जब कोई सौदा बिकता देखें अथवा कोई तमाशा दिखायी पड़ जाये तो उसकी ओर दौड़ जाते हैं तथा आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं।[2] (आप) कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो कुछ है[3] वह खेल एवं व्यापार से उत्तम है,[4] तथा अल्लाह (तआला) सर्वोत्तम जीविका प्रदान करने वाला है।[5]

---

[1]इससे तात्पर्य कारोबार तथा व्यापार है। अर्थात जुमअः की नमाज पढ़कर फिर अपने काम-धंधे में लग जाओ। उद्देश्य यह बताना है कि जुमअः के दिन कारोबार बंद रखने की आवश्यकता नहीं। मात्र नमाज के समय ऐसा करना आवश्यक है।

[2]एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमअः का ख़ुतबा (भाषण) वर्णन कर रहे थे कि एक काफ़िला आ गया, लोगों को पता चला तो ख़ुतबा छोड़कर बाहर क्रय-विक्रय के लिए चले गये कि कहीं विक्रय करने वाली वस्तुयें समाप्त न हो जायें। केवल १२ आदमी मस्जिद में रह गये, जिस पर यह आयत अवतरित हुई (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरः *जुमअः*, मुस्लिम, किताबुल जुमुअः) انفضاض का अर्थ है, प्रवृत होना और ध्यान देना, दौड़कर बिखर जाना। यहाँ केवल सर्वनाम व्यापार का वर्णन किया, इसलिए कि जब व्यापार भी वैध और जरूरी होने के बावजूद ख़ुतबा के मध्य अमान्य है तो खेल आदि के अमान्य होने में क्या शंका हो सकता है ? इसके अतिरिक्त (क़ायेमन) से ज्ञात हुआ कि ख़ुतबये जुमअः खड़े होकर देना सुन्नत है। जैसाकि हदीस में भी आता है कि आप के दो ख़ुतबे होते थे, जिनके मध्य आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे क़ुरआन पढ़ते और लोगों को शिक्षा एवं उपदेश (वाज़ो नसीहत) फ़रमाते। (मुस्लिम, किताबुल जुमुअः)

[3]अर्थात अल्लाह तथा रसूल के अहकाम (आदेश) का पालन किया जाये जो महान पुण्य है।

[4]जिसकी ओर तुम दौड़कर गये और मस्जिद से निकल गये और ख़ुतबये जुमअः को सुना भी नहीं।

[5]बस उसी से रोज़ी (जीविका) माँगो और आज्ञापालन के द्वारा से उसी की ओर वसीला (माध्यम) पकड़ो। उसकी आज्ञाकारिता (अताअत) और उसकी तरफ़ ध्यान, जीविका प्राप्ति का वहुत वड़ा साधन है।

सूरतुल-मुनाफ़िक़ून-६३

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

सूर: मुनाफ़िक़ून मदीने में अवतरित हुई, इसमें ग्यारह आयतें तथा दो रूकुऊ हैं।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ
لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①

(१) तेरे पास जब मुनाफ़िक़ आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के साक्षी हैं कि नि:संदेह आप अल्लाह के सन्देष्टा हैं,[1] तथा अल्लाह (तआला) जानता है कि आप अवश्य उसके संदेष्टा हैं,[2] तथा अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफ़िक़ निश्चित रूप से झूठे हैं।[3]

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

(२) उन्होंने अपनी सौगन्धों को ढाल बना रखा है[4] तो अल्लाह के मार्ग से रुक गये।[5] नि:संदेह बुरा है वह कार्य जिसे ये कर रहे हैं।

---

[1]मुनाफ़िक़ून से अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन उबैय तथा उसके साथी हैं। ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होते तो कसमें खा-खाकर कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।

[2]यह मध्यवर्ती वाक्य है जो पहले के विषय पर बल देने के लिये है, जिसे मुनाफ़िक़ (द्वयवादी) द्वयवाद (निफ़ाक़) स्वरूप व्यक्त करते थे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया : यह तो वैसे ही मुख से बोलते हैं, इनके दिल विश्वास से रिक्त (ख़ाली) हैं,परन्तु हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्तव में अल्लाह के रसूल (संदेष्टा) हैं।

[3]इस बात में कि वह दिल से आपकी रिसालत (दूतत्व) की गवाही देते हैं। अर्थात दिल से गवाही नहीं देते। मात्र ज़ुबान से धोखा देने के लिए कहते हैं।

[4]अर्थात वह सौगंध खाकर जो कहते हैं कि वह तुम्हारी भाँति मुसलमान हैं तथा यह कि मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के संदेशवाहक हैं, उन्होंने अपनी इस सौगन्ध को ढाल बना रखा है, जिसके द्वारा वह तुमसे बचे रहते हैं तथा काफ़िरों की भाँति यह तुम्हारी तलवारों की मार पर नहीं आते।

[5]दूसरा अनुवाद यह है कि इन्होंने शंका तथा संदेह पैदा करके अल्लाह के मार्ग से रोका।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ③

(३) यह इस कारण से है कि ये ईमान लाकर पुन: काफ़िर हो गये,[1] तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये नहीं समझते।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ؗ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④

(४) तथा जब आप उन्हें देख लें तो उनके शरीर आप को आकर्षक प्रतीत हों,[2] और जब ये बातें करने लगें तो उनकी बातों पर आप (अपना) कान लगायें,[3] जैसाकि ये लकड़ियाँ हैं दीवार के सहारे से लगायी हुई,[4] (वे) प्रत्येक (उच्च) ध्वनि को अपने विरूद्ध समझते हैं।[5] वही वास्तविक शत्रु हैं, उनसे बचो। अल्लाह उन्हें नाश करे! कहाँ फिरे जाते हैं।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤

(५) तथा जब उनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के सन्देष्टा क्षमा-याचना करें तो अपने सिर फिरा लेते हैं,[6] तथा आप उन्हें देखेंगे कि वे गर्व करते हुए रूक जाते हैं।[7]

---

[1]इससे ज्ञात हुआ कि अवसरवादी (मुनाफ़िक़) भी स्पष्ट काफ़िर हैं।

[2]अर्थात उनके सौन्दर्य तथा शोभा एवं मनोहरता के कारण।

[3]अर्थात भाषा की स्वच्छता तथा प्रभाव के कारण।

[4]अर्थात अपने आकार-प्रकार तथा शोभा, मनोहरता, निर्बोधता तथा भलाई की कमी में ऐसे हैं जैसे दीवार पर लगाई लकड़ियाँ हों, जो देखने में तो भली लगती हैं किन्तु किसी को लाभ नहीं पहुँचा सकतीं। अथवा यह विधेय है तथा इसका विषय लुप्त है और अभिप्राय यह है कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभा में ऐसे बैठते हैं जैसे दीवार से लगी लकड़ियाँ हैं, जो कोई बात समझती हैं न जानती हैं। (फ़तहुल क़दीर)

[5]अर्थात ऐसे कायर हैं कि कोई उच्च स्वर सुन लें तो समझते हैं कि हम पर कोई आपदा उतर गई है अथवा घबरा उठते हैं कि हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही तो नहीं आरम्भ हो रही है, जैसे चोर तथा विश्वासघाती (बद्दयानत) का दिल भीतर से धक-धक करता है।

[6]अर्थात क्षमा माँगने से मुँह फेरते हुए अपने सिरों को घूमा लेते हैं।

[7]अर्थात कहने वाले की बात से मुँह मोड़ लेंगे अथवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ اَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ ؕ لَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ ۞

(६) उनके पक्ष में आपका क्षमा की प्रार्थना करना तथा न करना दोनों समान है,[1] अल्लाह (तआला) उनको कदापि क्षमा न करेगा ।[2] नि:संदेह अल्लाह (तआला ऐसे) अवज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाता ।

هُمُ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ لَا تُنۡفِقُوۡا عَلٰى مَنۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنۡفَضُّوۡا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلٰـكِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ

(७) यही वे हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के संदेष्टा के पास हैं, उन पर कुछ ख़र्च न करो, यहाँ तक कि वे इधर-उधर हो जायें,[3] और आकाशों तथा धरती के समस्त कोष अल्लाह ही का स्वामित्व है [4] परन्तु ये

वसल्लम से मुँह फेर लेंगे ।

[1]अपने निफ़ाक़ (अवसरवाद) पर दुराग्रह तथा कुफ़्र पर निरन्तरता के कारण वह ऐसे स्थान पर पहुँच गये हैं जहाँ उनके लिए क्षमा-याचना करना तथा न करना दोनों बराबर है ।

[2]यदि इसी निफ़ाक़ की दशा में मर गये तो उनके लिए क्षमा नहीं । हाँ, यदि वह जीवन में कुफ़्र तथा निफ़ाक़ से तौबा (प्रायश्चित) कर लें तो और बात है, फिर उनके लिए क्षमा संभव है ।

[3]एक ग़जवे (युद्ध) में जिसे इतिहासकारों ने मरीसीअ अथवा बनुल मुस्तलिक कहा है) एक मुहाजिर तथा एक अंसार के बीच झगड़ा हो गया । दोनों ने अपनी-अपनी सहायता के लिए अंसार तथा मुहाजिरीन को पुकारा, जिस पर अब्दुल्लाह बिन उबैय (मुनाफ़िक़) ने अंसार से कहा कि तुमने मुहाजिरों की सहायता की तथा उनको अपने साथ रखा, अब देख लो कि इसका परिणाम आगे आ रहा है, अर्थात अब यह तुम्हारा खाकर तुम पर गुर्रा रहे हैं । उनका उपचार तो यह है कि उन पर ख़र्च करना बंद कर दो, यह अपने-आप तितर-बितर हो जायेंगे । उसने यह भी कहा कि हम (जो सम्मानित हैं) इन अपमानितों (मुहाजिरों) को मदीने से निकाल देंगे । आदरणीय ज़ैद पुत्र अरक़म रज़ि अल्लाहु अन्हु ने यह अपशब्द सुन लिये तथा उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया । आपने अब्दुल्लाह बिन उबैय को बुलाकर पूछा तो उसने साफ इंकार कर दिया जिस पर ज़ैद बिन अरक़म को बड़ा दुख हुआ । अल्लाह ने ज़ैद बिन अरक़म की सच्चाई को व्यक्त करने हेतु "सूरह मुनाफ़िक़ून" उतार दी जिसमें अब्दुल्लाह बिन उबैय के दुष्कर्म को पूर्णत: उछाला गया । (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरह *मुनाफ़िक़ून*)

[4]अर्थ यह है कि मुहाजिरीन का अन्नदाता परमेश्वर है, इसलिए कि जीविका के कोष उसी के पास हैं । वह जिसे जितना चाहे दे तथा जिससे चाहे रोक ले ।

لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

मुनाफ़िक़ समझते नहीं ।[1]

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(८) ये कहते हैं कि यदि हम अब लौटकर मदीने जायेंगे तो सम्मान वाला वहाँ से अपमान वाले को निकाल देगा ।[2] (सुनो !) सम्मान तो केवल अल्लाह (तआला) के लिए तथा उसके संदेष्टा के लिए एवं ईमानवालों के लिए है[3] परन्तु ये द्वयवादी (मुनाफ़िक़ीन) जानते नहीं ।[4]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

(९) हे ईमानवालो ! तुम्हारा धन तथा तुम्हारी सन्तान तुम्हें अल्लाह की याद से निश्चिन्त न कर दें ।[5] तथा जो ऐसा करें वे बड़े ही हानि

---

[1]मुनाफ़िक़ (अवसरवादी) इस तथ्य को नहीं जानते, इसलिए वह समझते हैं कि अंसार यदि मुहाजिरीन की ओर सहायतार्थ हाथ न बढ़ायें तो वह भूखे मर जायेंगे ।

[2]इसका कहने वाला मुनाफ़िक़ों का प्रमुख अब्दुल्लाह बिन उबैय था । सम्मानित से उसका प्रयोजन था वह स्वयं तथा उसके साथी तथा अपमानित से (अल्लाह की शरण !) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा मुसलमान ।

[3]अर्थात सम्मान तथा प्रभुत्व केवल अल्लाह के लिए है, वह अपनी ओर से जिसको चाहे सम्मान तथा प्रभुत्व प्रदान कर दे । जैसे कि वह अपने रसूलों तथा उन पर ईमान लाने वालों को सम्मान तथा सफलतायें प्रदान करता है, न कि उन को जो अवज्ञाकारी हों । यह मुनाफ़िक़ों के कथन का खंडन किया है कि सम्मानों का स्वामी केवल अल्लाह तआला है तथा सम्मानित भी वही है जिसे वह सम्मानित समझे, न कि वह जो स्वयं को सम्मानित अथवा जिसे जगतवासी सम्मानित समझें । अल्लाह के निकट सम्मानित मात्र तथा मात्र ईमानवाले होंगे, काफ़िर तथा मुनाफ़िक़ नहीं ।

[4]इसलिए ऐसे कर्म नहीं करते जो उनके लिये लाभप्रद हैं, न उन चीज़ों से बचते हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं ।

[5]अर्थात माल तथा संतान का प्रेम तुम पर इतना प्रभावी न हो जाये कि तुम अल्लाह के बतलाये हुए आदेशों तथा कर्तव्यों से निश्चिन्त हो जाओ तथा अल्लाह की निर्धारित की हुई हलाल (वैध) तथा हराम (अवैध) की सीमाओं की चिन्ता न करो । मुनाफ़िक़ों की चर्चा के पश्चात तुरन्त इस चेतावनी का आशय यह है कि यह मुनाफ़िक़ों का आचरण है, जो मनुष्य को क्षति में डालने वाला है । ईमानवालों का आचरण इसके विपरीत होता है तथा वह यह है कि वह प्रत्येक क्षण अल्लाह को याद रखते हैं, अर्थात उसके आदेशों

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑨

उठाने वाले लोग हैं।

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ⑩

(१०) तथा जो कुछ हमने तुम्हें प्रदान कर रखा है, उसमें से (हमारे मार्ग में) उससे पूर्व ख़र्च करो[1] कि तुम में से किसी को मृत्यु आ जाये, तो कहने लगे कि हे मेरे प्रभु ! मुझे तू थोड़ी देर की छूट क्यों नहीं देता ?[2] कि मैं दान दूँ तथा सदाचारी लोगों में से हो जाऊँ।

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪

(११) तथा जब किसी का निर्धारित समय आ जाता है फिर उसे अल्लाह (तआला) कदापि अवसर नहीं देता, तथा जो कुछ तुम करते हो, उससे अल्लाह (तआला) भली-भाँति अवगत है।

سُورَةُ التَّغَابُنِ

सूरतुत-तग़ाबुन-६४

सूर: तग़ाबुन मदीने में अवतरित हुई तथा इसमें अट्ठारह आयतें एवं दो रूकूअ हैं।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ

(१) आकाशों एवं धरती की प्रत्येक वस्तु अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करती हैं,[3] उसी

एवं अनिवार्यताओं का पालन तथा वैध एवं अवैध में अन्तर करते हैं।

[1]ख़र्च करने का अभिप्राय ज़कात देने तथा अन्य अच्छे कार्यों में ख़र्च करना है।

[2]इससे ज्ञात हुआ कि ज़कात (धर्मदान) देने तथा अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने तथा इसी प्रकार यदि हज करने का सामर्थ्य हो तो उसे अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए की मौत पता नहीं कब आ जाये तथा यह अनिवार्य कर्तव्य उस के ऊपर रह जायें। मृत्यु के समय कामना करने का कोई लाभ नहीं होगा।

[3]अर्थात आकाश एवं धरती की प्रत्येक वस्तु सभी दोष तथा कमी से अल्लाह की पवित्रता एवं शुद्धता का वर्णन करती है, अपनी स्थिति से भी तथा कथन से भी, जैसाकि पहले गुज़र चुका है।

का राज्य है तथा उसी की प्रशंसा है[1] तथा वह प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है ।

وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

(२) उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम में से कुछ तो काफ़िर हैं तथा कुछ ईमानवाले हैं, तथा जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) भली-भाँति देख रहा है ।[2]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ②

(३) उसी ने आकाशों को तथा धरती को न्याय (औचित्य तथा हिक्मत) से उत्पन्न किया,[3] उसी ने तुम्हारे रूप बनाये[4] और अति

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ

---

[1]अर्थात यह दोनों गुण उसी के साथ विशेष हैं । यदि किसी को कुछ अधिकार प्राप्त है तो वह उसी का प्रदान किया हुआ है, जो सामयिक है, किसी के पास सुन्दरता अथवा निपुणता है तो उसी दया के स्रोत की कृपा का परिणाम है । अत: वास्तविक प्रशंसा का अधिकारी भी केवल वही है ।

[2]अर्थात इंसान के लिए पुण्य, पाप, भलाई, बुराई तथा कुफ़्र एवं ईमान के मार्गों को स्पष्ट करने के पश्चात अल्लाह ने इंसान को इच्छा तथा पसन्द का अधिकार दिया, जिसके अनुसार किसी ने कुफ़्र तथा किसी ने ईमान का मार्ग अपनाया है, उसने किसी पर दबाव नहीं डाला । यदि वह दबाव डालता तो कोई कुफ़्र तथा पाप का मार्ग अपनाने पर समर्थ ही नहीं होता । परन्तु इस प्रकार से इंसान की परीक्षा संभव नहीं थी, जबकि अल्लाह की इच्छा इंसान की परीक्षा लेनी थी ।

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

"जिसने मृत्यु तथा जीवन को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में से सत्कर्म कौन करता है ।" (*सुरतुल मुल्क*-२)

इस आधार पर जैसे काफ़िर का रचयिता अल्लाह है कुफ़्र भी उसी की रचना है, किन्तु यह कुफ़्र उस काफ़िर का कर्म तथा कमाई है जिसने अपनी इच्छा से उसे अपनाया है, इसी प्रकार मोमिन तथा ईमान का स्रष्टा भी अल्लाह है, परन्तु ईमान उस मोमिन की कमाई तथा कर्म है जिसने उसे अपनाया है । इस कमाई तथा कर्म पर दोनों को उनके कर्मों के अनुसार बदला मिलेगा, क्योंकि वह सबके कर्म देख रहा है ।

[3]तथा वह न्याय एवं हिक्मत यही है कि उपकारी को उसका प्रत्युपकार तथा अपकारी को उसका प्रत्यापकार दे, जैसाकि इस न्याय का पूर्ण प्रबंध वह क़यामत के दिन करेगा ।

[4]तुम्हारा रूप, आकार-प्रकार तथा आकृति अति सुंदर बनाया जिससे अल्लाह की दूसरी

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③

सुन्दर बनाये तथा उसी की ओर लौटना है ।[1]

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

(४) वह आकाशों एवं धरती की समस्त वस्तुओं का ज्ञान रखता है तथा जो कुछ तुम गुप्त रखो तथा जो प्रकट करो वह (सबको) जानता है । अल्लाह तो सीनों तक की बातों को जानने वाला है ।[2]

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

(५) क्या तुम्हारे पास इससे पूर्व के काफ़िरों की सूचना नहीं पहुँची, जिन्होंने अपने कर्मों के परिणाम का स्वाद चख लिया[3] तथा जिनके लिए कष्टदायी यातना है ?[4]

ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

(६) यह इसलिए कि उनके[5] पास उनके संदेष्टा

सृष्टि वंचित है, जैसे दूसरे स्थान पर फ़रमाया :

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

"हे मनुष्यो ! तुझे अपने कृपाशील प्रभु से किस वस्तु ने बहकाया ? जिस प्रभु ने तुझे जन्म दिया, फिर ठीक-ठाक किया, फिर (सन्तुलित एवं) बराबर बनाया, जिस रूप में चाहा तुझे जोड़ दिया ।" (*सूरतुल इंफ़ितार*-६-८)

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

"तथा तुम्हारे रूप बनाये और बहुत सुन्दर बनाये तथा तुम्हें उत्तम (एवं पवित्र) वस्तयें खाने को प्रदान कीं ।" (*सूरतुल मोमिन*-६४)

[1]किसी और की ओर नहीं, कि अल्लाह के हिसाब तथा पकड़ से बचाव हो जाये ।

[2]अर्थात उसका ज्ञान पृथ्वी तथा आकाश की सृष्टि सभी चीज़ों पर आच्छादित है, अपितु वह अन्तर्यामी है । इससे पहले जो वादे तथा धमकियाँ वर्णित हुई हैं यह उन्हीं पर बल दिया गया है ।

[3]यह मक्कावासियों से विशेष रूप से तथा अरब के काफ़िरों से सामान्यत: संबोधन है । पहले काफ़िरों से अभिप्राय नूह की जाति, आद जाति तथा समूद जाति आदि हैं, जिन्हें दुनिया में उनके कुफ़्र तथा अवज्ञा के कारण प्रकोप में डालकर नष्ट-ध्वस्त कर दिया गया ।

[4]अर्थात सांसारिक यातना के अतिरिक्त परलोक में ।

[5]ذلك यह संकेत है उस यातना की ओर जो संसार में उन्हें मिली तथा आख़िरत (परलोक) में भी मिलेगी ।

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

स्पष्ट प्रमाण (चमत्कार) लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि क्या मनुष्य हमारा पथप्रदर्शन करेगा ?[1] तो इंकार कर दिया[2] तथा मुख फेर लिया[3] तथा अल्लाह ने भी निश्चिन्तता की,[4] तथा अल्लाह तो है ही अत्याधिक निस्पृह[5] समस्त गुणों वाला ।[6]

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ

(७) उन काफ़िरों ने भ्रम किया है कि पुन: जीवित न किये जायेंगे,[7] आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की सौगन्ध ! तुम अवश्य फिर से जीवित किये जाओगे,[8] फिर जो कुछ

---

[1]यह उनके कुफ़्र का कारण है कि उन्होंने यह कुफ़्र, जो दोनों लोक में उनकी यातना का कारण बना इसलिए अपनाया कि उन्होंने एक मानव पुरूष को अपना मार्गदर्शक मानने से इंकार कर दिया । अर्थात एक इंसान का संदेष्टा बनकर लोगों के मार्गदर्शन तथा पथप्रदर्शन के लिए आना उनके लिए अस्वीकार्य था जैसाकि आज भी बिदअतियों के लिये रसूल को मानव पुरूष मानना अति भारी एवं कठिन है । هَدَاهُم الله تعالى

[2]जैसाकि इसी आधार पर उन्होंने रसूलों को रसूल मानने तथा उन पर ईमान लाने से इंकार कर दिया ।

[3]अर्थात उनसे मुँह फेर लिया तथा जो निमन्त्रण वह देते थे उस पर उन्होंने चिन्तन-मनन ही नही किया ।

[4]अर्थात उनके ईमान तथा उनकी इबादत (वंदना) से ।

[5]उसको किसी की इबादत से क्या लाभ तथा उसकी इबादत से इंकार करने से क्या हानि ?

[6]अथवा महमूद है (प्रशंसित) सभी सृष्टि की ओर से, अर्थात प्रत्येक सृष्टि अपनी स्थिति तथा कथन की ज़ुबान से उसकी प्रशसा में मगन है ।

[7]अर्थात यह आस्था कि क़यामत के दिन पुन: जीवित नहीं किये जायेंगे, यह काफ़िरों का केवल भ्रम है, जिसका कोई प्रमाण नहीं । भ्रम झूठ के लिए भी प्रयुक्त होता है ।

[8]पवित्र क़ुरआन के तीन स्थान पर अल्लाह ने अपने रसूल को यह आदेश दिया है कि अल्लाह की शपथ लेकर यह घोषणा करो कि अल्लाह अवश्य पुन: जीवन प्रदान करेगा । उनमें से एक यह स्थान है तथा इससे पहले एक स्थान *सूरह यूनुस* आयत ५३ एवं दूसरा *सूरह सबा* आयत ३ है ।

وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦

तुमने किया है उसकी सूचना दिये जाओगे ।[1] तथा अल्लाह के लिए यह बहुत ही सरल है ।[2]

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧

(८) तो तुम अल्लाह पर तथा उसके संदेष्टा पर[3] तथा उस ज्योति पर जिसे हमने अवतरित किया है ईमान लाओ,[4] तथा अल्लाह तआला तुम्हारे हर कर्म से अवगत है ।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ

(९) जिस दिन तुम सबको उस एकत्रित होने के दिन[5] एकत्रित करेगा, वही दिन है पराजय

---

[1]यह क़यामत के होने का रहस्य है कि अन्ततः अल्लाह क्यों सभी इंसानों को पुनः जीवन प्रदान करेगा ? इसलिए ताकि प्रत्येक को उसके कर्म का पूरा प्रतिकार (बदला) दिया जाये, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि यह प्रतिफल साधारणतः पूर्णरूप से नहीं मिलता, अच्छे को न बुरे को । अब यदि क़ियामत के दिन भी पूर्ण बदले की व्यवस्था न हो तो संसार एक खेलाड़ी का खेल तथा व्यर्थ कर्म ही माना जायेगा, जबकि अल्लाह ऐसी बातों से अति उच्च (महान) है । उसका कोई कार्य व्यर्थ नहीं कहां कि जिन्नों तथा इंसानों की उत्पत्ति को एक क्रीड़ा समझ लिया जाये ।

[2]यह पुनः जीवन इसांनों को कितना ही कठिन लगे, किन्तु अल्लाह के लिए अत्यन्त सरल है ।

[3]فَآمِنُوا में 'फ़ा' विवरण (स्पष्ट करने) के लिए है जो लुप्त शर्त का संकेत देती है, अर्थात إذا كانَ الأَمْرُ هكذا فَصَدِّقوا بِالله अर्थात "जब मामला ऐसा है जो वर्णित हुआ, तो अल्लाह पर तथा उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी पुष्टि करो ।"

[4]आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अवतरित यह क़ुरआन ही प्रकाश है, जिससे गुमराही के अंधकार छटते हैं तथा ईमान का प्रकाश फैलता है ।

[5]क़यामत को यौमुल जमअ (एकत्रित होने का दिन) इसलिए कहा कि उस दिन आदि, अंत के सभी लोग एक ही मैदान में एकत्र होंगे । फ़रिश्ता पुकारेगा तो सब उसकी पुकार सुनेंगे । प्रत्येक की दृष्टि अंत तक पहुँच जायेगी, क्योंकि बीच में कोई वस्तु आड़ न बनेगी । जैसे अन्य स्थान पर फ़रमाया :

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾

"आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कह दीजिए कि निःसंदेह सभी अगले तथा पिछले अवश्य एकत्र किये जायेंगे, एक निर्धारित दिन के समय ।" (*अल-वाक़ेअः ४९,५०*)

يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

तथा विजय का ।[1] तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाकर सत्कर्म करे अल्लाह उससे उसकी बुराईयाँ दूर कर देगा तथा उसे स्वर्गों में ले जायेगा जिनके नीचे सरितायें प्रवाहित हैं, जिसमें वे हमेशा रहेंगे । यही बहुत बड़ी सफलता है ।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

(१०) तथा जिन लोगों ने कुफ़्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वे सभी नरक में जाने वाले हैं, जिसमें वे सदैव रहेंगे, वह बहुत बुरा स्थान है ।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ
يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

(११) कोई आपदा अल्लाह की आज्ञा के बिना नहीं पहुँच सकती ।[2] तथा जो अल्लाह पर ईमान लाये अल्लाह उसके हृदय को मार्गदर्शन प्रदान करता है[3] तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु

---

[1]अर्थात एक गिरोह जीत जायेगा तथा एक हार जायेगा । सबसे बड़ी विजय ईमानवालों को यह प्राप्त होगी कि वह स्वर्ग में प्रवेश कर जायेंगे तथा वहाँ उन घरों के भी अधिकारी बन जायेंगे जो नरकवासियों के लिए थे । यदि वह नरक में जाने का कर्म न करते । तथा सबसे बड़ी हार नरकवासियों के भाग में आयेगी जो नरक में जायेंगे, जिन्होंने भले को बुरे से, उत्तम को तुच्छ से एवं वरदानों को यातनाओं से बदल लिया । 'गबन' का अर्थ हानि तथा क्षति भी है अर्थात घाटे का दिन । उस दिन काफ़िरों को तो घाटे का संवेदन होगा ही । ईमानवालों को भी इस आधार पर घाटा अनुभव होगा कि उन्होंने और अधिक पुण्य के कर्म करके अधिक पद क्यों न प्राप्त किये ।

[2]अर्थात उसके भाग्य-लेख तथा इच्छा से ही इसकी उत्पत्ति होती है । कुछ कहते हैं कि इसके अवतरित होने का कारण काफ़िरों का यह कथन है कि यदि मुसलमान सत्य पर होते तो उन्हें सांसारिक आपदायें न पहुँचतीं । (फ़तहुल क़दीर)

[3]अर्थात वह जान लेता है कि जो कुछ उसे पहुँचता है अल्लाह के चाहने ही से पहुँचता है, अत: वह धैर्य तथा भाग्य पर प्रसन्नता व्यक्त करता है । इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि उसके दिल में पक्का विश्वास कर देता है जिससे वह जान लेता है कि उसको पहुँचने वाली चीज़ उससे चूक नहीं सकती तथा जो चूक जाने वाली है उसे पहुँच नहीं सकती । (इब्ने कसीर)

को भली-भाँति जानने वाला है ।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾

(१२) (लोगो !) अल्लाह के आदेश का पालन करो तथा संदेष्टा के आदेश का पालन करो । फिर यदि तुम विमुख हुए तो हमारे संदेष्टा का दायित्व केवल स्पष्ट रूप से पहुँचा देना है ।[1]

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

(१३) अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तथा ईमानवालो को केवल अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए ।[2]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

(१४) हे ईमानवालो ! तुम्हारी कुछ पत्नियाँ तथा कुछ सन्तानें तुम्हारे शत्रु हैं ।[3] तो उनसे सतर्क रहना[4] तथा यदि तुम क्षमा कर दो तथा छोड़ दो और क्षमा कर दो तो अल्लाह (तआला) क्षमा करने वाला कृपालु है ।[5]

---

[1]अर्थात हमारे रसूल का इससे कुछ नही बिगड़ेगा, क्योंकि उसका काम संदेश पहुँचा देना है । इमाम ज़ुहरी फ़रमाते हैं कि अल्लाह का काम रसूल भेजना है, रसूल का काम संदेश पहुँचा देना तथा लोगों का काम स्वीकार करना है । (फ़तहुल क़दीर)

[2]अर्थात सभी विषय अल्लाह को समर्पित करें, उसी पर विश्वास करें तथा केवल उसी से विनय करें, क्योंकि उसके सिवा कोई कार्यक्षम एवं संकटहारी नहीं है ।

[3]अर्थात जो तुम्हें पुण्य के कामों तथा अल्लाह के आज्ञापालन से रोके, समझ लो कि वह तुम्हारे हितकारी नहीं, शत्रु हैं ।

[4]अर्थात उनके पीछे लगने से वचो, अपितु उन्हें अपना अनुगामी बनाओ ताकि वह भी अल्लाह की आज्ञाकारिता अपनायें, न कि तुम उसके पीछे लगकर अपनी आख़िरत बर्बाद कर लो ।

[5]इसके अवतरित होने का कारण यह बताया गया है कि मक्का में मुसलमान होने वाले कुछ मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का विचार किया, जैसाकि उस समय हिजरत का आदेश बलपूर्वक दिया गया था, किन्तु उनकी पत्नियाँ तथा बच्चे बाधा बन गये तथा उन्होंने उन्हें हिजरत नहीं करने दिया । फिर जब बाद में वह रसूलुल्लाह

(१५) तुम्हारे धन तथा तुम्हारी सन्तान (तो सर्वथा) तुम्हारी परीक्षा हैं,[1] तथा बहुत बड़ा बदला अल्लाह के पास है ।[2]

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

(१६) तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो तथा सुनते एवं आज्ञापालन करते चलो[3] तथा (अल्लाह के मार्ग में) दान करते रहो जो तुम्हारे लिए उत्तम है,[4] तथा जो लोग अपनी मनोकांक्षा से सुरक्षित रखे गये वही सफल हैं ।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

(१७) यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण दोगे (अर्थात उसके मार्ग में ख़र्च करोगे)[5] तो वह उसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जायेगा तथा तुम्हारे

إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गये तो देखा कि उनसे पहले आने वालों ने धर्म में अत्याधिक समझ प्राप्त कर ली है तो उन्हें अपनी पत्नियों तथा बच्चों पर क्रोध आया, जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोका था, अत: उन्हें दण्ड देने की सोची । अल्लाह ने इसमें उन्हें क्षमा कर देने तथा छोड़ देने का आदेश दिया । (तिर्मिज़ी, तफ़सीर *सूरह तग़ाबुन*)

[1]जो तुम्हें निषेधित धन आर्जन पर उभारते हैं तथा अल्लाह का अधिकार पूरा करने से रोकते हैं, तो इस परीक्षा में तुम उसी समय सफल हो सकते हो जब तुम अल्लाह की अवज्ञा में उनका अनुसरण न करो । अभिप्राय यह हुआ कि धन तथा संतान जहाँ अल्लाह के वरदान हैं, वहीं यह इंसान की परीक्षा के साधन भी हैं । इस ढंग से अल्लाह देखता है कि मेरा आज्ञाकारी कौन है तथा अवज्ञाकारी कौन ?

[2]अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो धन तथा संतान के प्रेम के मुक़ाबले में अल्लाह की आज्ञाकारिता को प्रधानता देता है तथा उसकी अवज्ञा से बचता है ।

[3]अर्थात अल्लाह तथा रसूल की बातों को ध्यान से सुनो तथा उसके अनुसार कर्म करो, क्योंकि मात्र सुन लेना व्यर्थ है जब तक कि उनका पालन न हो ।

[4]خـيرا अर्थात إنفاقا خـيرا अथवा يكن الإنفاق خيرا । ख़र्च साधारण है, अनिवार्य दान तथा ऐच्छिक दान दोनों को सम्मिलित है ।

[5]अर्थात शुद्ध विचार तथा साफ़ मन से अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करोगे ।

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

पाप भी क्षमा कर देगा और अल्लाह बड़ा गुणग्राहक तथा सहनशील है ।[1]

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

(१८) वह गुप्त एवं प्रकट का जानने वाला । शक्तिमान एवं हिक्मत वाला है ।[2]

सूरतुत्तलाक़-६५

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

सूर: तलाक़ मदीने में अवतरित हुई, इसमें बारह आयतें एवं दो रूकूअ हैं ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूं जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ

(१) हे नबी ! (अपने अनुयाईयों से कहो) जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक़ देना चाहो[3] तो उनकी इद्दत (अवधि के आरम्भ) में उन्हें तलाक़ दो[4] तथा इद्दत की गणना

---

[1]अर्थात कई-कई गुना बढ़ाने के साथ वह तुम्हारे पाप भी क्षमा कर देगा ।

[2]वह अपने आज्ञा पालकों को कई-कई गुना पुण्य तथा प्रतिफल प्रदान करता है । तथा अवज्ञाकारियों को तुरन्त नहीं पकड़ता ।

[3]नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संबोधन आपकी श्रेष्ठता तथा प्रतिष्ठा के कारण है । अन्यथा आदेश तो अनुयाईयों को दिया जा रहा है । अथवा आप ही को विशेष रूप से संबोधित किया गया है तथा बहुवचन का रूप प्रतिष्ठा के कारण है तथा अनुयाईयों के लिए आपका आदर्श ही पर्याप्त है । طَلَّقتم का अर्थ है जब तलाक़ देने का पक्का इरादा कर लो ।

[4]इसमें तलाक़ देने की विधि तथा समय बताया है । لِعِدَّتِهِنَّ में 'लाम' समय निर्धारण के लिए अर्थात لاستقبال عِدَّتِهِنَّ (इद्दत के आरम्भ में) तलाक़ दो । अर्थात जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाये तो उससे संभोग किये बिना तलाक़ दो । पवित्रता की अवस्था उसकी इद्दत (अवधि) का आरम्भ है । इसका अभिप्राय यह है कि मासिक धर्म की अवस्था में अथवा पवित्रता की अवस्था में संभोग के बाद तलाक़ देना ग़लत है । इसे धर्मविदों ने तलाक़े बिदई (विधि के प्रतिकूल) तलाक़ से तथा पहले (सहीह) तरीक़े को सुन्नतानुसार तलाक़ से व्यंजित किया है । इसका समर्थन उस हदीस से होता है जिसमें आता है कि

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ①

रखो,[1] तथा अल्लाह से जो तुम्हारा प्रभु है डरते रहो, न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो[2] तथा न वे (स्वयं) निकलें,[3] हाँ, यह अन्य बात है कि वह खुली बुराई कर बैठें।[4] यह अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमायें हैं, और जो व्यक्ति अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे, उसने निश्चित रूप से अपने ऊपर अत्याचार किया,[5] तुम नहीं जानते कि शायद उसके पश्चात अल्लाह (तआला) कोई

आदरणीय इब्ने उमर ने मासिक धर्म की अवस्था में अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रोधित हो गये तथा उन्हें उसे वापस लेने के साथ आदेश दिया कि पवित्रता की अवस्था में तलाक़ देना, तथा उसके लिए आपने इस आयत को प्रमाण बनाया। (सहीह बुख़ारी, किताबुत तलाक़) यद्यपि मासिक धर्म की अवस्था में दी गई तलाक़ भी बिदई होने के बावजूद पड़ जायेगी। मुहद्देसीन तथा सभी विद्वान इसे मानते हैं। हाँ, इब्ने तैमिया तथा इब्ने क़य्यिम तलाक़ बिदई के पड़ने को नहीं मानते। (विवरण के लिए, देखिए नैलुलऔतार, किताबुत तलाक़, बाबुन नह्ये अनित तलाकि फिल हैज़े व फित तुहरे तथा अन्य हदीसों की व्याख्या)

[1]अर्थात उसके आरम्भ तथा अंत का ध्यान रखो, ताकि स्त्री उसके पश्चात दूसरा विवाह कर सके, अथवा यदि तुम ही फिर रखना चाहो (पहली तथा दूसरी तलाक़ की दशा में) तो इद्दत (अवधि) के भीतर फिर रख सको।

[2]अर्थात तलाक़ देते ही स्त्री को अपने घर से न निकालो, बल्कि इद्दत तक उसे घर ही में रहने दो, तथा उस समय तक रहने तथा खाने एवं कपड़े का ख़र्च तुम्हारा दायित्व है।

[3]अर्थात इद्दत (अवधि) के भीतर स्त्री स्वयं भी बाहर निकलने से बचाव करे, परन्तु यह कि कोई अति आवश्यक समस्या हो।

[4]अर्थात व्याभिचार कर जाये अथवा अपशब्द तथा असभ्य स्वभाव का प्रदर्शन करे, जिससे घर वालों को दुख हो। दोनों स्थितियों में उसे निकालना उचित (जायेज़) होगा।

[5]अर्थात उपरोक्त आदेश अल्लाह की सीमायें हैं जिनका उल्लंघन स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करना है, क्योंकि उसकी धार्मिक तथा सांसारिक हानि स्वयं उल्लंघनकारी को ही भुगतनी पड़ेगी।

नई बात उत्पन्न कर दे ।[1]

(२) तो जब ये (महिलायें) अपनी अवधि पूरी करने के निकट पहुँच जायें तो उन्हें नियमानुसार अपने विवाह में रहने दो अथवा नियमानुसार

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

---

[1]अर्थात पति के मन में तलाक़ दी हुई स्त्री की रूचि पैदा कर दे तथा वह फिर से रखने पर तैयार हो जाये, जैसाकि पहली तथा दूसरी तलाक़ के बाद पति को अवधि के भीतर फिर से रखने का अधिकार है। इसलिए कुछ भाष्यकारों का विचार है कि अल्लाह ने इस आयत में मात्र एक तलाक़ देने की शिक्षा दी है तथा एक समय में तीन तलाक़ देने से रोका है, क्योंकि यदि वह एक ही समय में तीन तलाक़ दे डाले (तथा धर्म-विधान उसे वैध करके लागू भी कर दे) तो फिर यह कहना व्यर्थ है कि संभवत: अल्लाह तआला कोई नई बात पैदा कर दे। (फ़तहुल क़दीर) इसी से इमाम अहमद तथा अन्य विद्वानों ने यह तर्क निकाला है कि आवास तथा ख़र्च देने पर जो बल दिया गया है वह उन स्त्रियों के लिए है जिन्हें पति ने पहली अथवा दूसरी तलाक़ दी हो, क्योंकि उनमें पति को फिर से रखने का अधिकार रहता है। तथा जिस स्त्री को विभिन्न समयों में दो तलाक़ मिल चुकी हो तो तीसरी तलाक़ उसके लिए बत्ता अथवा बायेना (बिलगाव) है। उसका आवास तथा ख़र्च पति पर नहीं है। उसे तुरन्त पति के घर से दूसरी जगह कर दिया जायेगा, क्योंकि अब पति उसे फिर से रखकर अपना घर आबाद नहीं कर सकता حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ इसलिए अब उसे पति के पास रहने तथा उससे ख़र्च लेने का अधिकार नहीं। इसका समर्थन फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की इस घटना से होता है कि जब उसको उसके पति ने तीसरी तलाक़ भी दे दी तथा उसे पति के घर से निकलने को कहा गया तो वह तैयार नहीं हुई। अंतत: विवाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही निर्णय किया कि उसके लिए आवास तथा ख़र्च नहीं है, उसे तुरन्त दूसरी जगह चली जाना चाहिए। कुछ रिवायत (उद्धरणों) में स्पष्टीकरण भी है। «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ لِلْمَرْأَةِ؛ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ» (रवाहु अहमद वन नसाई) हाँ, कुछ रिवायत में गर्भवती के लिए भी आवास तथा ख़र्च का स्पष्टीकरण है (देखिये नैलुल औतार, बाबु माजाअ फी नफ़क़तिल मबतूतते) कुछ लोग इन हदीसों को क़ुरआन के उपरोक्त आदेश لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ के विपरीत मान कर इनको नहीं मानते जो सहीह नहीं है, क्योंकि क़ुरआन का आदेश अपने आगे तथा पीछे के संकेतों को देखते हुए मुतल्लक़ा रजईया (जिसे तलाक़ के बाद फिर रखा जा सकता हो) के लिए है। यदि उसे साधारण भी मान लिया जाये तो यह हदीसें उसको विशेष करने के लिए हैं, अर्थात क़ुरआन के सामान्य आदेश को इन रिवायतों ने मुतल्लक़ा रजईया के लिए विशेष कर दिया तथा मुतल्लक़ा बायेना को इस साधारण नियम से निकाल दिया।

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ﴿۲﴾

उन्हें अलग कर दो[1] तथा आपस में से दो न्याय करने वाले व्यक्तियों को साक्षी बना लो,[2] तथा अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ठीक-ठाक गवाही दो ।[3] यही है वह जिसकी शिक्षा उन्हें दी जाती है, जो अल्लाह पर तथा क़ियामत (प्रलय) के दिन पर ईमान रखता हो, तथा जो व्यक्ति अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे का मार्ग निकाल देता है ।[4]

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾

(३) तथा उसे ऐसे स्थान से जीविका उपलब्ध कराता है जिसका उसे अनुमान भी न हो, तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए पर्याप्त होगा । अल्लाह (तआला) अपना कार्य पूरा करके ही रहेगा,[5] अल्लाह (तआला) ने प्रत्येक वस्तु का एक अनुमान निर्धारित कर रखा है ।[6]

---

[1]मुतल्लक़ा मदख़ुला (जिस स्त्री से पति ने संभोग किया हो यदि उसे तलाक़ दिया है तो) उसकी अवधि (इद्दत) तीन मासिक धर्म है । यदि उसे फिर से रख लेने का विचार हो तो इद्दत (अवधि) पूरी होने से पहले-पहले रुजूअ कर लो, अन्यथा उन्हें नियमानुसार अपने से अलग कर दो ।

[2]इस रजअत (पत्नी को फिर से रख लेने) पर तथा कुछ के निकट तलाक़ पर साक्षी (गवाह) वना लो । यह आदेश अनिवार्यता के लिए नहीं, ऐसा करना उत्तम है, अर्थात गवाह वना लेना उत्तम है, आवश्यक नहीं ।

[3]यह गवाहों को कहा गया है कि बिना पक्षपात तथा बिना लालच के सही-सही गवाही दें ।

[4]कठिनाईयों तथा परीक्षाओं से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है ।

[5]अर्थात वह जो चाहे कोई उसको रोकने वाला नहीं ।

[6]तंगियों के लिए भी तथा सुविधाओं के लिए भी । यह दोनों अपने समय पर समाप्त हो जाते हैं । कुछ ने इसका अभिप्राय मासिक धर्म तथा इद्दत (अवधि) लिया है ।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

(४) तुम्हारी स्त्रियों में से जो स्त्रियाँ मासिक धर्म से निराश हो गयी हों, यदि तुम्हें शंका हो तो उनकी अवधि तीन माह है तथा उनकी भी जिन्हें अभी मासिक धर्म प्रारम्भ ही न हुआ हो।[1] तथा गर्भवती महिलाओं की इद्दत (अवधि) उनका शिशु को जन्म देना है[2] तथा जो व्यक्ति अल्लाह तआला से डरेगा, अल्लाह उसके (प्रत्येक) कार्य में सुविधा उत्पन्न कर देगा।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ⑤

(५) यह अल्लाह का आदेश है जो उसने तुम्हारी ओर उतारा है तथा जो व्यक्ति अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके पाप मिटा देगा तथा उसे बहुत भारी बदला देगा।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ

(६) तुम अपनी शक्ति के अनुसार जहाँ रहते हो वहाँ उन (तलाक़ वाली) महिलाओं को रखो[3] तथा उन्हें बाध्य करने के लिए कष्ट न

---

[1]यह उनकी इद्दत (अवधि) है जिनका मासिक धर्म अधिक आयु के कारण रूक गया अथवा जिन्हें मासिक धर्म आना प्रारम्भ ही नहीं हुआ। ज्ञातव्य है कि ऐसा कभी-कभी होता है कि स्त्री बड़ी होकर पति के साथ रहती है परन्तु उसे मासिक धर्म नहीं आता।

[2]मुतल्लक़ा (तलाक़ प्राप्त स्त्री) यदि गर्भवती हो तो उसकी अवधि प्रसव है, चाहे दूसरे दिन ही प्रसव हो जाये। इसके सिवा आयत से प्रत्यक्ष यही है कि प्रत्येक गर्भवती की यही इद्दत है चाहे वह तलाक़ प्राप्त हो अथवा उसके पति का निधन हो गया हो, हदीसों से भी इसे समर्थन मिलता है (देखिए सहीह बुख़ारी, मुस्लिम तथा दूसरी सुनन, किताबुत तलाक़) अन्य स्त्रियाँ जिनके पति मर जायें उनकी अवधि ४ महीना १० दिन है। (*सूरह बक़र:-२३४*)

[3]मुतल्लक़ा रजइया को (अर्थात दो तलाक़ तक जिसमें पत्नी को अवधि के भीतर फिर से रख सकता है) इसलिए कि जो बायेन: है (पूरी तीन तलाक़ विभिन्न अवसर पर दे दिया है) उसके लिए आवास तथा ख़र्च आवश्यक ही नहीं है, जैसाकि विगत पृष्ठों में वर्णन किया गया। अपनी शक्ति के अनुसार रखने का अभिप्राय यह है कि यदि घर बड़ा हो तथा उसमें अनेक कमरे हों तो एक कमरा उसके लिए विशेष कर दिया जाये। अन्यथा

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ

दो[1] तथा यदि वे गर्भवती हों तो जब तक शिशु जन्म ले ले उन्हें ख़र्च देते रहा करो ।[2] फिर यदि तुम्हारे कहने से वही दूध पिलायें तो तुम उन्हें उनका पारिश्रमिक दे दो[3] तथा आपस में उचित रूप से विचार-विमर्श कर लिया करो [4] तथा यदि तुम आपस में तनाव

अपना कमरा उसके लिए ख़ाली कर दें। इसमें हिक्मत यही है कि समीप रह कर अवधि (इद्दत) पूरी करेगी तो हो सकता है कि पति को तरस आ जाये तथा उसे फिर से रखने की रूचि मन में उत्पन्न हो जाये। विशेष रूप से यदि बच्चे भी हों तो फिर चाहत तथा फिर से रख लेने की अधिक संभावना है। परन्तु खेद का विषय है कि मुसलमान इस निर्देश के अनुसार काम नहीं करते जिसके कारण इस आदेश के लाभ तथा खूबी से भी वह वंचित हैं। हमारे समाज में तलाक़ (विवाह-विच्छेद) के साथ ही जिस प्रकार स्त्री को तुरन्त अछूत बनाकर घर से निकाल दिया जाता है अथवा कई बार लड़की वाले उसे अपने घर ले जाते हैं, यह रिवाज क़ुरआन करीम की खुली शिक्षा के प्रतिकूल है।

[1]अर्थात भरण-पोषण अथवा आवास में उसे तंग अथवा अपमानित करना ताकि वह घर छोड़ने पर बाध्य हो जाये। इद्दत (अवधि) के बीच ऐसा ढंग न अपनाया जाये। कुछ ने इस का भावार्थ यह वर्णन किया है कि इद्दत (अवधि) समाप्त होने के समीप हो तो फिर से रख ले तथा बार-बार ऐसा करे जैसाकि अज्ञान काल में किया जाता था, जिसे रोकने के लिए धर्म ने तलाक़ (विवाह-विच्छेद) के पश्चात पत्नी को पुन: रख लेने की सीमा निर्धारित कर दी है ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति स्त्री को इस प्रकार तंग न करे। अब एक इन्सान दो बार ऐसा कर सकता है अर्थात तलाक़ के पश्चात इद्दत (अवधि) के अंत होने से पूर्व वापस लौटा ले, किन्तु तीसरी बार जब तलाक़ देगा तो उसके पश्चात उसे वापस लौटाने का अधिकार भी समाप्त हो जायेगा।

[2]अर्थात तलाक़ प्राप्त बायेन: (विलग) ही क्यों न हो, यदि गर्भवती है तो उसके भरण-पोषण का ख़र्च तथा आवास आवश्यक है, जैसाकि पहले भी वर्णन किया गया है।

[3]अर्थात तलाक़ देने के पश्चात यदि वह तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाये तो उसका पारिश्रमिक तुम्हारे ऊपर है।

[4]अर्थात आपस के परामर्श से पारिश्रमिक तथा अन्य मामले निपटा लिये जायें, जैसे बच्चे का पिता रीति के अनुसार पारिश्रमिक दे, तथा माता, पिता की शक्ति के अनुसार पारिश्रमिक की माँग करे, आदि।

لَهٗٓ اُخْرٰىؕ ۝٦

रखो तो उसके कहने से कोई अन्य दूध पिलायेगी ।[1]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

(७) धन वाले को अपने धन के अनुसार ख़र्च करना चाहिए[2] तथा जिसकी जीविका उसके लिए कम की गयी हो[3] तो उसको चाहिए कि जो कुछ अल्लाह (तआला) ने उसे प्रदान कर रखा है, उसी में से (अपनी शक्ति के अनुसार) दे, किसी व्यक्ति पर अल्लाह बोझ नहीं रखता परन्तु इतना ही जितनी शक्ति उसे दे रखी है ।[4] अल्लाह (तआला) निर्धनता के पश्चात धन भी प्रदान करेगा ।[5]

---

[1]अर्थात परस्पर पारिश्रमिक आदि का निर्णय न हो सके तो किसी अन्य दूध पिलाने वाली के साथ मामला कर ले जो उसके बच्चे को दूध पिलाये ।

[2]अर्थात दूध पिलाने वाली स्त्रियों को पारिश्रमिक अपनी शक्ति के अनुसार दी जाये । यदि अल्लाह ने अधिक धन-सम्पति प्रदान की है तो इसी विस्तार के साथ दूध पिलाने वाली की सेवा आवश्यक है ।

[3]अर्थात वह धन में कमज़ोर हो ।

[4]अतः वह निर्धन तथा दरिद्र को यह आदेश नहीं देता कि वह दूध पिलाने वाली को अधिक ही पारिश्रमिक दे । अभिप्राय इन निर्देशों का यह है कि बच्चे की माँ तथा उसका बाप ऐसा उचित ढंग अपनायें कि एक-दूसरे को कष्ट न पहुँचे तथा बच्चे को दूध पिलाने का मामला खटाई में न पड़े । जैसे अन्य स्थान पर फ़रमाया :

﴿ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ﴾

"न माँ को बच्चे के कारण दुख पहुँचाया जाये तथा न बाप को ।" (*अल-बक़र:-२३३*)

[5]अतः जो अल्लाह पर विश्वास एवं भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए सुविधा एवं विस्तार भी प्रदान करता है ।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ⑧

(८) तथा बहुत सी बस्ती (वालों) ने अपने प्रभु के आदेश से तथा उसके संदेष्टाओं की अवहेलना की[1] तो हमने भी उनसे कड़ा हिसाब लिया तथा अनदेखा (कठोर) प्रकोप उन पर डाल दिया।[2]

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨

(९) तो उन्होंने अपने करतूतों का स्वाद चख लिया तथा परिणाम स्वरूप उनकी हानि ही हुई।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩

(१०) उनके लिए अल्लाह तआला ने घोर यातनायें तैयार कर रखी हैं, तो अल्लाह से डरो हे बुद्धिमान, ईमानवालो ! निश्चित रूप से अल्लाह ने तुम्हारी ओर शिक्षा भेज दी है।

رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ

(११) (अर्थात) संदेष्टा[3] जो तुम्हें अल्लाह के स्पष्ट आदेश पढ़कर सुनाता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लायें तथा सत्कर्म करें वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले आये,[4]

---

[1] عَتَتْ ، أي: تمردت و طغت و استكبرت عن اتباع أمر الله و متابعة رسله अर्थात अवज्ञा, उद्दण्डता तथा उल्लंघन तथा अल्लाह के आदेशों एवं उसके रसूलों की बात मानने से अहंकार तथा घमंड किया।

[2] نُكْراً - مُنكراً فظيعاً हिसाब तथा यातना, दोनों का अभिप्राय सांसारिक पकड़ तथा यातना है, अथवा फिर कुछ के कथनानुसार वाक्य-क्रम में आगे-पीछे कर दिया गया है। عذاباً نُكْراً वह यातना है जो संसार में अकाल, धरती में धँसा देना तथा रूप परिवर्तन के रूप में उन्हें पहुँचा, तथा حِساباً شديداً वह है जो परलोक में होगा। (फ़तहुल क़दीर)

[3] रसूल यह ज़िक्र से बदल है। अतिशय स्वरूप रसूल को ज़िक्र कहा गया है जैसे कहते हैं, वह तो न्याय की मूर्ति है, अथवा ज़िक्र (स्मृति) से अभिप्राय पवित्र क़ुरआन है तथा رسولاً से पहले أَرْسَلَ लुप्त है, अर्थात ज़िक्र (क़ुरआन) को उतारा तथा रसूल (संदेष्टा) को भेजा।

[4] यह रसूल का दायित्व तथा पद वर्णन किया गया है कि वह क़ुरआन के द्वारा लोगों को

إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाये तथा सत्कर्म करे[1] अल्लाह उसे ऐसे स्वर्ग में प्रवेश देगा जिसके नीचे नहरें प्रवाहित हैं, जिसमें वे सदैव-सदैव रहेंगे। निःसंदेह अल्लाह ने उसे सर्वोत्तम जीविका प्रदान कर रखी है।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ

(१२) अल्लाह वह है जिसने सात आकाश बनाये तथा उसी के समान धरती भी।[2] उसका

नैतिक पतन तथा शिर्क (बहुदेववाद) एवं गुमराही के अंधकारों से निकाल कर ईमान तथा सत्कर्म के प्रकाश की ओर लाता है। यहाँ رسول रसूल (संदेष्टा) से तात्पर्य الرسول अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।

[1]सत्कर्म में दोनों बातें सम्मिलित हैं, आदेशों तथा कर्तव्यों का पालन तथा अवज्ञा एवं पापों से बचना। प्रयोजन यह है कि स्वर्ग में ईमानवाले प्रवेश पायेंगे, जिन्होंने केवल मुख ही से ईमान व्यक्त नहीं किया था, अपितु उन्होंने ईमान की माँगों के अनुसार कर्तव्यों का पालन किया था तथा अवज्ञाओं से बचे थे।

[2]أي خلق من الأرض مثلهن अर्थात सात आकाशों की भाँति अल्लाह ने सात धरतियाँ भी पैदा की हैं। कुछ ने इससे सात महाद्वीप तात्पर्य लिया है, परन्तु यह सही नहीं। वरन् जिस प्रकार ऊपर तले सात आकाश हैं उसी प्रकार सात धरतियाँ हैं, जिनके मध्य अंतर तथा दूरी है तथा प्रत्येक धरती में अल्लाह की सृष्टि आबाद है (अल कुर्तुबी)। हदीसों से भी इसका समर्थन होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

«مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» .

"जिस ने किसी की बित्ता बराबर भूमि भी हथिया ली तो क़यामत के दिन उस भूमि का उतना भाग सातों धरतियों से तौक बना कर उस के गले में डाल दिया जायेगा।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल बुयूअ, बाबू तहरिमिज़ ज़ुल्मे)

बुख़ारी के शब्द हैं خسف به إلى سبع أرضين "उसे सातों धरतियों तक धँसा दिया जायेगा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाबु इस्मे मन ज़लम शैअन मिनल अर्ज़े) कुछ कहते हैं कि प्रत्येक धरती में उसी प्रकार का पैग़म्बर (संदेष्टा) है जैसा पैग़म्बर तुम्हारी धरती पर आया, जैसे आदम आदम के समान, नूह नूह के समान, इब्राहीम इब्राहीम के समान, ईसा ईसा (अलैहिमुस्सलाम) के समान, परन्तु यह बात किसी सहीह रिवायत (हदीस) से प्रमाणित नहीं।

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

आदेश उनके मध्य अवतरित होता है[1] ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर वस्तु पर सामर्थ्यवान है । तथा अल्लाह (तआला) ने प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की परिधि में घेर रखा है ।[2]

सूरतुत्तहरीम-६६

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

सूरः तहरीम मदीने में अवतरित हुई, इसमें बारह आयतें एवं दो रूकूअ हैं ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपालु है ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

(१) हे नबी ! जिस वस्तु को अल्लाह ने आपके लिए वैध कर दिया है, उसे आप अवैध क्यों करते हैं ?[3] (क्या) आप अपनी

---

[1]अर्थात जैसे प्रत्येक आकाश पर अल्लाह का आदेश लागू तथा प्रभावी है, इसी प्रकार प्रत्येक धरती पर उसका आदेश चलता है, आकाशों की भाँति वह सभी धरतियों की भी व्यवस्था करता है ।

[2]तो उसके ज्ञान से कोई वस्तु बाहर नहीं चाहे वह कैसी ही हो ।

[3]नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वस्तु को अपने लिये अवैध कर लिया था वह क्या थी ? जिस पर अल्लाह ने अपनी अप्रियता व्यक्त की । इस संदर्भ में एक तो वह प्रसिद्ध घटना है जो बुखारी तथा सहीह मुस्लिम आदि में उद्धृत हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदरणीया ज़ैनब बिन्ते जहश के पास कुछ देर रूकते, तथा वहाँ मधु पीते । आदरणीय हफ़सा तथा आयेशा (रज़ी अल्लाहु अन्हुमा) दोनों ने वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अधिक देर तक ठहरने से रोकने के लिए यह योजना वनाई कि उनमें से जिसके पास भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायें तो वह उनसे यह कहे कि आप के मुँह से मग़ाफीर (एक प्रकार का फूल जिसमें अप्रिय गंध होती है) की गंध आ रही है, तथा उन्होंने ऐसा ही किया । आपने फरमाया कि मैंने तो ज़ैनब के घर केवल मधु पिया है । अव मैं सौगन्ध खाता हूँ कि यह नहीं पिऊंगा, किन्तु यह वात तुम किसी को वतलाना नहीं । (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर *सूरतित तहरीम*) सुनन

पत्नियों की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तथा अल्लाह क्षमा करने वाला अत्यन्त दयालु है।

تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

(२) नि:संदेह अल्लाह (तआला) ने आपके लिए सौगन्धों से निकलने की विधि नियमित कर दिया है[1] तथा अल्लाह आपका कार्यक्षम

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ

नसाई में वर्णन किया गया है कि वह एक दासी थी जिसको आपने अपने ऊपर अवैध कर लिया था। (शेख अलबानी ने इसको सहीह कहा है, सुनन नसाई ३\८३ परन्तु अन्य कुछ विद्वानों ने इसे क्षीण कहा है) कुछ ने वर्णन किया है कि यह दासी मारिया किबतिया थी, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुत्र इब्राहीम पैदा हुए थे। यह एक बार आदरणीया हफ़सा के घर आ गयी थीं जबकि आदरणीया हफसा मौजूद न थी। संयोग से उनकी उपस्थिति में आदरणीय हफ़सा आ गईं। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने घर में एकांत में देखना अप्रिय लगा, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भांप लिया, जिस पर आदरणीया हफ़सा को प्रसन्न करने के लिए आप ने मारिया को अपने ऊपर निषेध कर लिया तथा हफ़सा को ताकीद की कि यह बात किसी को न बताये। इमाम इब्ने हजर एक तो यह फ़रमाते हैं कि यह घटना विभिन्न वर्णन-क्रम से आया है जो एक-दूसरे को बल पहुँचाते हैं। दूसरी बात वह यह फ़रमाते हैं कि संभव है कि दोनों घटनायें ही एक साथ इस आयत के अवतरण का कारण बनी हों। (फ़तहुल बारी, तफ़सीर *सूरतित तहरीम*) इमाम शौकानी ने भी यही विचार व्यक्त किया है तथा दोनों कथाओं को सहीह कहा है। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अल्लाह की वैध चीज़ों को अवैध करने का अधिकार किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यह अधिकार नहीं रखते।

[1]अर्थात प्रायश्चित (कफ़्फ़ारा) देकर उस काम को करने की, जिसे न करने की शपथ ग्रहण की हो, अनुमति दे दी। सौगन्ध का यह प्रायश्चित *सूरः मायेदः* ८९ में वर्णन किया गया है, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रायश्चित अदा किया। (फ़तहुल क़दीर) इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि यदि कोई अपने ऊपर कोई चीज़ अवैध कर ले तो उसका क्या आदेश है ? सामान्य विद्वानों के विचार से पत्नी के सिवा किसी वस्तु को हराम (अवैध) करने से वह अवैध होगी न उस पर प्रायश्चित (दण्ड) है। यदि पत्नी को अपने ऊपर हराम (अवैध) करेगा तो यदि उसका आशय तलाक़ (सम्बन्ध-विच्छेद) है तो तलाक़ हो जायेगी तथा यदि तलाक़ का विचार नहीं तो मान्य कथन यह है कि यह सौगन्ध है, इस के लिए सौगन्ध का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) अदा करना आवश्यक है। (ऐसरूत्तफ़ासीर)

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝٢

है तथा वही (पूर्ण) ज्ञान वाला एवं हिक्मत वाला है।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝٣

(३) तथा (याद करो) जब नबी ने अपनी कुछ पत्नियों से एक बात चुपके से कही [1] तो जब उसने उस बात को सूचित कर दिया[2] तथा अल्लाह ने अपने नबी को उस पर अवगत कर दिया तो नबी ने कुछ बात तो बता दी तथा कुछ टाल गये, फिर[3] जब नबी ने अपनी उस पत्नी को यह बात बता दी तो वह कहने लगी कि इसकी सूचना आपको किसने दी।[4] कहा कि सब कुछ जानने वाले पूर्ण सूचना रखने वाले अल्लाह ने मुझे बता दिया है।[5]

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

(४) (हे नबी की दोनों पत्नियो!) यदि तुम अल्लाह से क्षमा माँग लो (तो अति उत्तम

---

[1]वह गुप्त बात मधु (शहद) अथवा दासी मारिया को हराम करने वाली बात थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदरणीया हफ़सा से की थी।

[2]अर्थात हफ़सा ने वह बात आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा को बता दी।

[3]अर्थात हफ़सा को यह बतला दिया कि तुमने मेरा भेद खोल दिया है, फिर भी अपने मान-सम्मान को देखते हुए सभी बातें नहीं बतायीं।

[4]जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदरणीया हफ़सा को बतलाया कि तुमने मेरा भेद खोल दिया है तो वह चकित हुईं, क्योंकि उन्होंने आदरणीया आयेशा के सिवा किसी को यह बात नहीं बतलाई थी तथा आयेशा से उन्हें आशा न थी कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला देंगी, क्योंकि वह मामले में साझी थीं।

[5]इससे ज्ञात हुआ कि क़ुरआन के अतिरिक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकाशना (वह्यी) का अवतरण होता था।

قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ④

है)[1] नि:संदेह तुम्हारे दिल झुक गये हैं ।[2] तथा यदि तुम संदेष्टा के विरूद्ध एक-दूसरे की सहायता करोगी तो नि:संदेह उसका संरक्षक अल्लाह है एवं जिब्रील हैं तथा सदाचारी ईमानवाले और उनके अतिरिक्त फ़रिश्ते भी सहायता करने वाले हैं ।[3]

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ⑤

(५) यदि वह (संदेष्टा) तुम्हें तलाक़ (विवाह-विच्छेद) दे दें तो अति शीघ्र उन्हें उनका प्रभु तुम्हारे बदले तुमसे उत्तम पत्नियाँ प्रदान करेगा,[4] जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, अल्लाह के समक्ष झुकने वालियाँ, क्षमा माँगने वालियाँ, इबादत करने वालियाँ, व्रत (रोज़े) रखने वालियाँ होंगी विधवायें तथा कुँवारियाँ ।[5]

---

[1]अथवा तुम्हारी क्षमा स्वीकार कर ली जायेगी, यह शर्त(إن تتوبا) का लुप्त उत्तर है ।

[2]अर्थात सत्य से हट गये तथा वह उनका ऐसी चीज़ को प्रिय रखना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रिय थी । (फ़तहुल क़दीर)

[3]अर्थात नबी के मुक़ाबिले तुम जत्था बंदी करोगी तो नबी का कुछ न बिगाड़ सकोगी, इसलिए कि नबी का सहायक तो अल्लाह भी है तथा सभी मोमिन एवं फ़रिश्ते भी ।

[4]यह चेतावनी के लिए सदेष्टा की पवित्र पत्नियों से कहा जा रहा है कि अल्लाह अपने पैग़म्बर को तुमसे भी अच्छी पत्नियाँ प्रदान कर सकता है ।

[5]ثَيِّبَات (सैयेबात) ثَيِّب (सय्यिब) का बहुवचन है (लौट आने वाली) विधवा नारी को सय्यिब इसलिए कहा जाता है कि वह पति से वापस लौट आती है । फिर इसी प्रकार बिना पति के रह जाती है जैसे पहले थी । أَبْكَار (अबकार) بِكْر (बिक्र) का बहुवचन है कुँवारी स्त्री को बिक्र (नई) इसलिए कहते हैं कि यह अभी अपनी प्रथम स्थिति पर होती है जिस पर पैदा हुई है । (फ़तहुल क़दीर) कुछ रिवायतों में आता है कि सय्यिब से अभिप्राय आदरणीय आसिया (फ़िरऔन की पत्नी) तथा बिक्र से ईशदूत ईसा की माँ मरियम तात्पर्य हैं । अर्थात स्वर्ग में इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियाँ बना दिया

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

(६) हे ईमानवालो ! तुम स्वयं अपने को तथा अपने परिवार वालों को उस अग्नि से बचाओ[1] जिसका ईधन मनुष्य हैं तथा पत्थर, जिस पर कठोर हृदय वाले शक्तिशाली फ़रिश्ते नियुक्त हैं, जिन्हें जो आदेश अल्लाह (तआला) देता है उसकी अवहेलना नहीं करते अपितु जो आदेश दिया जाये उसका पालन करते हैं।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

(७) हे काफ़िरो ! आज तुम (विवशता एवं) बहाना मत व्यक्त करो। तुम्हें केवल तुम्हारे कुकर्मों का बदला दिया जा रहा है।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ

(८) हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह के आगे (सत्य एवं) शुद्ध क्षमा माँगो।[2] संभव है कि

जायेगा । संभव है कि ऐसा हो, किन्तु इन रिवायतों (उद्धरण) के आधार पर ऐसा विचार रखना तथा ब्यान करना सहीह नहीं है, क्योंकि वर्णन-कम्र के अनुसार यह रिवायतें (हदीस) अमान्य हैं।

[1]इसमें ईमान वालों को उनके एक अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व की ओर ध्यान दिलाया गया है तथा वह यह है कि अपने साथ अपने घर वालों का भी सुधार तथा उनकी इस्लामी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करें, ताकि यह सब नरक का ईधन बनने से बच जायें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब बच्चा सात वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज़ का आदेश दो तथा दस वर्ष की आयु में नमाज़ में आलस्य देखो तो उन्हें मारो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, किताबुस सलात) धर्मविदों ने कहा है कि इसी प्रकार रोज़े (व्रत) भी उनसे रखवाये जायें तथा अन्य धार्मिक आदेशों के पालन का निर्देश दिया जाये ताकि जब वह बोध की आयु को पहुँचें तो उनमें धार्मिक बोध भी प्राप्त हो चुका हो। (इब्ने कसीर)

[2]विशुद्ध क्षमा-याचना यह है : १- जिस पाप से क्षमा माँग रहा है उसे त्याग दे, २- उस पर अल्लाह के सामने लज्जित हो, ३- भविष्य में उसे न करने का दृढ़ संकल्प करे ४- यदि उसका संबन्ध बंदों के अधिकार से है तो जिसका हक़ मारा है तो उसकी क्षतिपूर्ति करे, जिसके साथ अत्याचार किया है उससे क्षमा माँगे। केवल मुख से तौबा-तौबा कर

تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي
اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पाप मिटा दे तथा तुम्हें ऐसे स्वर्ग में प्रवेश दे जिनके नीचे नहरें प्रवाहित हैं, जिस दिन अल्लाह (तआला) नबी (संदेष्टा) को तथा ईमानवालों को जो उनके साथ हैं अपमानित न करेगा। उनकी ज्योति उनके आगे तथा उनके दायें दौड़ रही होगी। ये दुआयें करते होंगे कि हे हमारे प्रभु ! हमें पूर्ण प्रकाश प्रदान कर[1] तथा हमें क्षमा कर दे, नि:संदेह तू हर वस्तु पर सामर्थ्य रखने वाला है।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ⑨

(९) हे नबी ! काफ़िरों तथा मुनाफ़िक़ों से धर्मयुद्ध करें,[2] तथा उन पर कड़ाई करें,[3] उन का ठिकाना नरक है,[4] और वह अति बुरा स्थान है।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

(१०) अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों के लिए

लेना कोई अर्थ नहीं रखता।

[1]यह प्रार्थना ईमानवाले उस समय करेंगे जब मुनाफ़िक़ों का प्रकाश बुझा दिया जायेगा, जैसाकि *सूरह हदीद* में विवरण गुज़रा। ईमानवाले कहेंगे कि स्वर्ग में जाने तक हमारा यह प्रकाश शेष रख तथा इसे पूर्ण कर दे।

[2]काफ़िरों के साथ जिहाद तथा लड़ाई लड़कर एवं मुनाफ़िक़ों से उन पर अल्लाह का दण्ड नियम लागू करके, जब वह ऐसे काम करें जो दण्डनीय हों।

[3]अर्थात धर्म के प्रचार-प्रसार में कड़ाई करें तथा धर्म-विधानों में दृढ़ता अपनायें, क्योंकि यह लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि धर्म के प्रचार में कभी नम्रता तथा कभी कड़ाई की आवश्यकता होती है, प्रत्येक स्थान पर नम्रता भी उचित नहीं, न प्रत्येक स्थान पर कड़ाई लाभप्रद है। धर्म के प्रचार-प्रसार में स्थितियों तथा समय एवं व्यक्तियों के अनुसार कभी कोमलता अथवा कड़ाई करने की आवश्यकता है।

[4]अर्थात काफ़िरों तथा मुनाफ़िक़ों दोनों का स्थान नरक है।

امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝١٠

नूह की तथा लूत की पत्नियों का उदाहरण दिया है ।[1] ये दोनों हमारे भक्तों में से दो सदाचारी भक्तों के परिवार में थीं, फिर उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया[2] तो वे दोनों (भक्त) उनसे अल्लाह की (किसी यातना को) न रोक सके[3] तथा आदेश दे दिया गया कि (महिलाओ !) नरक में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ ।[4]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

(११) तथा अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों

---

[1] مَثَل का अर्थ है ऐसी स्थिति का वर्णन जिसमें विचित्रता तथा अनोखापन हो ताकि उसके द्वारा एक दूसरी स्थिति का परिचय हो जाये जो विचित्र तथा अनोखी होने में उसके समान हो । अभिप्राय यह हुआ कि इन काफ़िरों की दशा के लिए अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है जो नूह तथा लूत की पत्नी के हैं ।

[2] यहाँ विश्वासघात से अभिप्राय सतीत्व में विश्वासघात नहीं, क्योंकि इस बात पर '*इजमाअ*' (सहमति) है कि किसी नबी की पत्नी व्यभिचारणी नहीं होती । (फ़तहुल क़दीर) विश्वासघात का अर्थ यह है कि यह अपने पतियों पर ईमान नहीं लायीं, निफ़ाक़ (दुविधा) में ग्रस्त रहीं तथा उनकी सहानुभूतियाँ अपनी कफ़िर जाति के साथ रहीं, जैसाकि नूह की पत्नी आदरणीय नूह अलैहिस्सलाम के विषय में लोगों से कहती कि यह उन्मादग्रस्त (दीवाना) है तथा लूत की पत्नी अपने सम्प्रदाय को घर में आने वाले आगंतुकों की सूचना पहुँचाती थी । कुछ लोग कहते हैं कि यह दोनों अपनी जाति के लोगों में अपने पतियों की चुगलियाँ खाती थीं ।

[3] अर्थात नूह तथा लूत दोनों अल्लाह के पैग़म्बर (संदेष्टा) थे, जो अल्लाह के समीपस्थ बंदे होते हैं, फिर भी अपनी पत्नियों को अल्लाह की यातना से नहीं बचा सके ।

[4] यह उनसे प्रलय के दिन कहा जायेगा अथवा मौत के समय उन्हें कहा गया । काफ़िरों की मिसाल यहाँ विशेष रूप से वर्णन करने का अभिप्राय पवित्र पत्नियों को यह चेतावनी देनी है कि वह निःसंदेह उस रसूल के घर की शोभा हैं, जो पूरी सृष्टि में सर्वोत्तम हैं । परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि उन्होंने रसूल का विरोध किया अथवा उन्हें दुख पहुँचाया तो वह भी अल्लाह की पकड़ में आ सकती हैं, तथा यदि ऐसा हो गया तो कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा ।

امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۟ۙ

के लिए फ़िरऔन की पत्नी का उदाहरण वर्णन किया[1] जबकि उसने प्रार्थना की हे मेरे प्रभु ! मेरे लिए अपने पास स्वर्ग में घर बना तथा मुझे फ़िरऔन से तथा उसके कर्म से बचा और मुझे अत्याचारियों से मुक्ति प्रदान कर।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۟ع

(१२) तथा (उदाहरण वर्णन किया) मरियम पुत्री इमरान का[2] जिसने अपने सतीत्व की सुरक्षा की, फिर हमने अपनी ओर से उसमें प्राण फूँके तथा (मरियम) ने अपने प्रभु की बातों[3] तथा उसकी किताबों की पुष्टि की तथा इबादत करने वालियों में से थी।[4]

---

[1]अर्थात उनके प्रोत्साहन, अडिग रहने तथा धर्म पर दृढ़ता एवं आपदा में धैर्य के लिए, तथा यह भी बताने के लिए कि कुफ़्र का वैभव तथा आतंक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जैसे फ़िरऔन की पत्नी है जो अपने समय के सबसे बड़े काफ़िर के अधीन थी, किन्तु वह अपनी पत्नी को ईमान से नहीं रोक सका।

[2]आदरणीया मरियम की चर्चा से उद्देश्य यह वर्णन करना है कि यद्यपि वह एक बिगड़ी जाति के बीच रहती थीं, किन्तु अल्लाह ने उन्हें लोक तथा परलोक की प्रतिष्ठा एवं चमत्कार से सम्मानित किया तथा पूरे विश्व की महिलाओं पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।

[3]प्रभु के शब्दों से अभिप्राय अल्लाह के धर्म-विधान हैं।

[4]अर्थात ऐसे लोगों अथवा परिवार में से थीं जो आज्ञाकारी, उपासक तथा सुधार एव आज्ञापालन में प्रसिद्ध था। हदीस में है कि जन्नती महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ हज़रत ख़दीजा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत मरियम तथा फ़िरऔन की पत्नी आदरणीया आसिया रज़ि अल्लाहु अन्हुन्न हैं। (मुसनद अहमद १\२९३, मजमउज़्ज़वायेद ९\ २२३, अस्सहीह लिल अलबानी न॰ १५०८) एक दूसरी हदीस में है कि पुरूषों में तो परिपूर्ण बहुत हुए हैं, किन्तु महिलाओं में पूर्ण मात्र फ़िरऔन की पत्नी आसिया, मरियम पुत्री इमरान तथा ख़दीजा पुत्री ख़ुवैलिद हैं, तथा आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की प्रधानता नारियों पर ऐसे है जैसे सरीद (खाने) को तमाम खानों पर प्रधानता प्राप्त है। (बुख़ारी, किताबु बदइल ख़ल्क, तथा मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाबु फ़ज़ाइलि ख़दीजा)